

वं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक:

518 / अका. / का.प. / 2014

रायपुर, दिनांक : 09/06/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक सोमवार, दिनांक 16 जून, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे की विषयसूची

- 01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र. ०) से ७ तक) टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
- 02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- 03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. ७७ से 13 तक) टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
- 04. सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2013—14 हेतु कुल 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि ₹ 12,50,000/— भुगतान की सूचना ग्रहण करना। (फू-ठ.14 क्री 16 लंड) टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
- 05. मुख्य परीक्षा 2014 के संचालन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 112 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि ₹ 70,89,000 /— भुगतान की सूचना ग्रहण करना। टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
- 06. बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव (Proposal for appointment of consultant for NCNR Project) के संबंध में विचार करना।
- 07. देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम—खपरी, धमधा रोड, दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

टीप : प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

08. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

भू खुलसचिव

[.] स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

पृ. क्रमांकः 519 /अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 09/06/2014

प्रतिलिपि :--

- माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- 2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक / प्रभारी अंकेक्षण,
- 5. कुलपित के सिचव / कुलसिचव के निजी सहायक, पं. रिवशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक : 346 /अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 15/05/2014

विश्वविद्यालय स्थापना दिवस 1 मई 1964 से 50 वर्ष पूरा होने के फलस्वरूप कार्यपरिषद की प्रथम बैठक शुक्रवार, दिनांक 09 मई, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए—

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	_	अध्यक्ष
2.	प्रो. सी.एल. पटेल	_	सदस्य
3.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	_	सदस्य
4.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	_	सदस्य
5.	प्रो. बी.के. शर्मा		सदस्य
6.	प्रो. मिताश्री मित्रा	· <u>·</u>	सदस्य
7.	- डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला		सदस्य
8.	डॉ. एम.आई. मेमन	-	सदस्य
9.	डॉ. के.एन. बापट	_	सदस्य
10.	डॉ. पी.सी. अग्रवाल	_	सदस्य
11.	डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम	_	सदस्य
12.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	_	सदस्य
13.	प्रो. दिनेश मारोठिया		सदस्य
14.	श्री ललित सुरजन	_	सदस्य
15.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव
	-		

कार्यवृत्त

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण, प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, डॉ. के.एन. बापट एवं डॉ. पी.सी. अग्रवाल का कुलसिचव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.03.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय कार्यपरिशद की बैठक दिनांक 25.03.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.03.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.03.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

00

04. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 29.03.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 29.03.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

05. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 100 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय: छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 178/एफ— 2013—04—00416/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर दिनांक 25 अप्रैल, 2014 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.01. 2014 से 100 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

06. विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2014 से 90 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छ.ग. राज्य शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2014 से 90 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का वित्त निर्देश 24/2014 एवं पत्र क्रमांक 180/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 25 अप्रैल, 2014 के अनुरूप प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

07. 20वाँ दीक्षांत समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. No. 10/Per.Cell/2014, 17 April, 2014 सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: 20वाँ दीक्षांत समारोह दिनांक 26 जुलाई, 2014 के लिए राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. No. 10/Per. Cell/2014, 17 April, 2014 के अनुसार माननीय राष्ट्रपति की सहमति की सूचना ग्रहण किया गया। 20वाँ दीक्षांत समारोह के संबंध में कार्यपरिषद की ओर से आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

08. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

an

09. स्वर्ण जयंती (1 मई 2014) के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय स्मृति चिन्ह के देयक रू. 13,25,000/— (तेरह लाख पच्चीस हजार रूपए) VIABLE DIAMONDS इंदौर को भुगतान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर सेवानिवृत्त एवं वर्तमान में कार्यरत् शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यादगार के रूप में प्रदान किये जाने वाले स्मृति चिन्ह का VIABLE DIAMONDS इंदौर के द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रू. 13,25,000/- (तेरह लाख पच्चीस हजार रूपए) भुगतान के लिए स्वीकृति दी गई।

10. महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर डी.सी.ए. की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार करना।

निर्णय: महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर को डी.सी.ए. में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव अमान्य किया गया।

पूरक विषयसूची

01. मे. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा. लि. इंदौर को देयक रू. 20,42,046=00 स्वीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय: में. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा. लि. इंदौर के द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रू. 20,42,046=00 भुगतान हेतु स्वीकृति दी गई।

02. शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा को हिन्दी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता देने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा को समिति की अनुशंसा पर 2 वर्ष के लिए हिन्दी विषय में शोध केन्द्र बनाने की स्वीकृति दी गई।

03. अनुचित साधन समिति गठित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुचित साधन समिति वर्ष 2014 के लिए निम्नलिखित तीन सदस्यों के मनोनयन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

04. सेमेस्टर / वार्षिक / पूरक परीक्षा 2013 में अनुचित साधन के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित अनुचित साधन समिति के निर्णय की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सेमेस्टर/वार्षिक/पूरक परीक्षा 2013 में अनुचित साधन के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित अनुचित साधन समिति के निर्णय की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

00

- 05. डॉ. गौरी शंकर, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला के पत्र दिनांक 13.02.2014 के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : डॉ. गौरी शंकर, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला के पत्र दिनांक 13.02.2014 की सूचना ग्रहण की गई।
- 06. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.05.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय: (i) भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.05.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया
 गया।
 - (ii) विश्वविद्यालय के गार्डन मेन्टेंनेंस, सी.एस.आर. के तहत किये जाने संबंधी अनुशंसा अभी स्थिगत रखने का निर्णय लिया गया।
- 07. प्रसूती अवकाश 135 दिन के स्थान पर 180 दिन किये जाने पर विचार करना।
- निर्णय: शासन के अधिसूचना क्र. 40/एफ-1003117/वित्त/नियम/चार/2012 दिनांक 18 फरवरी, 2013 में पूर्वस्वीकृत प्रसूती अवकाश 135 दिन में वृद्धि करते हुए 180 दिन किये जाने संबंधी निर्णय को अंगीकृत किया गया।
- 08. श्री क्यू फजली, वरिष्ठ अधीक्षक (बर्खास्त) के अपील 28.06.2008 के प्रकरण पर विचार करना।
- निर्णय: विधिक सलाहकार के अभिमत के आधार पर प्रकरण की पुनः समीक्षा / परीक्षण कर नियमान्तर्गत कार्यवाही किया जावे।
- 09. छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त आचार्य, जैविकी अध्ययनशाला की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त आचार्य, जैविकी अध्ययनशाला की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।



10. डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के संबंध में।

निर्णय: डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला द्वारा मैट्स विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से त्यागपत्र देकर सांख्यिकी अध्ययनशाला में पुनः अपने मूल पद (आचार्य) पर कार्यभार ग्रहण दिनांक 22.04.2014 से Lien समाप्त करते हुए, सूचना ग्रहण कर, अनुमोदन किया गया।

11. श्री रूपेश शर्मा, उपयंत्री, (अनिवार्य सेवानिवृत्त) के प्रकरण पर प्राप्त विधिक अभिमत, विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : प्रकरण पर दो कार्यपरिषद् सदस्यों एवं एक अन्य सदस्य की समिति बनाकर समीक्षा किया जावे। समिति की अनुशंसा कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

- 1. कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला के विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि रू. 10,000 / से बढ़ाकर रू. 20,000 / की स्वीकृति प्रदान की गई।
- 2. (i) कुलपित द्वारा सभी सदस्यों को अवगत् कराया कि विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला में से सत्र 2013—14 में सर्वोच्च परफार्मेंस प्रदर्शित करने वाले विभाग, जैविकी अध्ययनशाला को विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपित, डॉ. बाबूराम सक्सेना स्मृति रिनंग ट्राफी एवं सत्र 2013—14 में अशासकीय महाविद्यालयों में से सर्वोच्च परफार्मेंस करने वाले महाविद्यालय को पं. रिवशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपित, डॉ. बी.एल. पाण्डेय, स्मृति रिनंग ट्राफी प्रदान किया गया।
 - (ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में से नैक मूल्यांकन में 'ए' ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय, दुर्ग को कुलपति ट्राफी प्रदान किया गया।

प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही (i) एवं (ii) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

- (iii) निर्णय लिया गया कि शासकीय महाविद्यालयों में से सर्वोच्च परफार्मेंस करने वाले महाविद्यालयों के लिए डॉ. जे.योगानंदम रनिंग ट्राफी स्थापित किया जावे।
- (iv) कुलपित ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि स्वर्ण जयंती वर्ष में महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा THE CWS UPDATE प्रसारित किया गया। स्थापना दिवस 1 मई 2014 को अर्द्धवार्षिक समाचार बुलेटिन "चित्रोत्पला" (E-News Letter) केन्द्रीय डाक विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती आवरण एवं Journal of Pt. Ravishankar University, Part-B (Science) के विशेष अंक का विमोचन किया गया।

असमीक्षण समिति के अनुशंसानुसार दिनांक 22.03.2014 के निर्णय के अनुरूप यू.जी.सी. को पत्र प्रेषित किया जा चुका है, इसमें आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को 01.07.2014 से 30.06.2019 तक 5 वर्षों के लिए स्वशासी निरंतरता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के प्रत्याशा में इसी प्रकार समीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर समस्त शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों को पाँच वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् स्वशासी निरंतरता प्रदान करने के संबंध में पत्र दिया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ.एस.के पाण्डेय) कुलपति अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर) कुलसचिव सचिव

पृ. क्रमांक : 347 /अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक : 15/05/2014

प्रतिलिपि :--

- 1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपूर।
- 2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- 3. जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक / प्रभारी अंकेक्षण,
- समस्त विभागीय अधिकारी.
- 6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क. 50—/अका./वि.प.स्थायी समिति/2014

रायपुर, दिनांक:0 7/06/2014

विश्वविद्यालय विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 03.06.2014 अपरान्ह 04.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे —

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति		अध्यक्ष
2.	प्रो. सी.एल. पटेल	_	सदस्य
3.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
4	प्रो. स्वर्णलता सर्राफ	_	सदस्य
5.	प्रो. भगवंत सिंह		सदस्य
6.	प्रो. एम.डब्ल्यू वाय. खान	· —	सदस्य
6 .	प्रो. सी.डी. अंगासे		सदस्य
7.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव		सदस्य
8.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	_	सदस्य
9.	प्रो. एस.सी. नैथानी		सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	_	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है —

क्र. महाविद्यालय कक्षा / विष छात्र सत्र निरीक्षण समिति द्वारा टीप निर्णय 1. प्रगति बी.बी.ए.— 30 2012—13 निरीक्षण तिथि:—03.05.2014 महाविद्यालय ततीय वर्ष आज दिनांक 03.05.2014 को सन 2013—14 में तीतीय							
1. प्रगति बी.बी.ए.— 30 2012—13 निरीक्षण तिथ्य:—03.05.2014	क्र.	महाविद्यालय	कक्षा / विष	চার	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1114 1114 00.00.2014			य	संख्या			
सेंद्रल एवेन्यु, चौबे कॉलोनी, रायपुर वि.वि. के पत्र क्र. 139/अका. / 2014 दिनांक 15.04.2014 को उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण BBA-III Year हेतु किया गया। 1. प्राचार्यानुसार महाविद्यालय Shiftwise चलता है, अतः अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. पुस्तकालय में BBA-III year के अन्तर्गत (Vth & VI th) Semester की पुस्तकें छात्र संख्या 30 के अनुपात में क्रय करने की आवश्यकता है। परिनियम 28 के तहत (03) शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी किन्तु (01) शिक्षक (दीप्ति बघेल) ने त्यागपत्र दिया है,	1.	महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु, चौबे कॉलोनी,	बी.बी.ए.— तृतीय वर्ष	30	2012-13	आज दिनांक 03.05.2014 को वि.वि. के पत्र क्र. 139/अका. /2014 दिनांक 15.04.2014 को उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण BBA-III Year हेतु किया गया। 1. प्राचार्यानुसार महाविद्यालय Shiftwise चलता है, अतः अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. पुस्तकालय में BBA-III year के अन्तर्गत (Vth & VI th) Semester की पुस्तकें छात्र संख्या 30 के अनुपात में क्रय करने की आवश्यकता है। परिनियम 28 के तहत (03) शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी किन्तु (01) शिक्षक (दीप्ति	तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में बिना सम्बद्धता के प्रवेश देकर परीक्षा आवेदन पत्र जमा करते हुए परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए। रिक्त पदों पर नियुक्ति शीघ्र किया

				·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 2-2
क्र.	महाविद्यालय	कक्षा / विष	চ্চান্ন	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय 🔍
	का नाम	य	संख्या			
2.	शास. एन.सी.	M.A. Final	·	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 14.04.	निरीक्षण समिति द्वारा
	जे.	Year-			2014	उल्लेखित बिंदुओं की
	महाविद्यालय,	Hindi	30	1	महाविद्यालय में अधोसंरचना	पूर्ति एक वर्ष के अंदर
	दल्लीराजहरा,	Political Sc.	30		संतोषजनक है। सम्बद्धता	करने के शर्त पर
	जिला–बालोद	1 011010			केन गाउँ । (४) गाउनीति	अस्थायी सम्बद्धता दिये
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				विज्ञान एवं हिन्दी विषय में	जाने की अनुशसा का
			 		एक-एक सहायक प्राध्यापकों	गई।
					की नियुक्ति करने।	
			ļ		(2) राजनीति विज्ञान विषय	
					की 20 हजार रूपयों एवं	
		1			हिंदी साहित्य की 30 हजार	
	1	<u> </u>			,	
					रूपयों की पुस्तकें क्रय	
	1				करने की शर्तों की पूर्ति के	l .
					शर्त पर सत्र 2014-15 से	
					राजनीति विज्ञान में 30	
			 		सीट एक हिंदी में 30 सीट	
					की सम्बद्धता दिये जाने पर	
					विचार किया जा सकता है।	
	-				पात्रता है।	

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

	टाप क सा	थ, सूचा ।नम्न	निसार ६ -		
큙.	महाविद्यालय	कक्षा / विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा
	का नाम	·			टीप
1.	गुरूकुल महिला महाविद्याल य, कालीबाड़ी, रायपुर	1. बी.एस.सी. —(बायो ग्रुप) (FC, Chemistry, Botany, Zoology)	2014-15	निरोक्षण तिथि:— 03.05.2014 The Committee visited the college on 15- 05-2014 regarding permanent affiliation for B.Sc. (Bio-group)-50 Seats. The course is running since 2001. 1. Three faculty (one each in Botany, Zoology & /Chemistry) are appointed in Section 28 and working in the college. Besides this one each faculty are appointed as Ad-hoc by the College.	स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विनियम 129 में उल्लेखित बिंदुओं के तहत पुनः परीक्षण की जाए।
 				2. Adequate infastructure (Class room & labs for Botany, Zoology & Chemistry) faculty is available for 50 students. The lab have sufficient equipment & other lab facilities for B.Sc. I,II & III. 712 books are available in the library for Bio-group students. Two science magzines are also subscribed by the College.	

화 .	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
		2. बी. कॉम. —(सभी अनिवार्य विषय)		Based of the facilities it is recommended that: 1. Though the college fulfils the requirement norms for faculty number, it is suggested that at least one faculty each more be appointed in section 28. 2. More number of Books (Botany - 250, Zoology-250 & Chemistry-500) be procurred in the Library. 3. The laboratory facility be upgraded by procurring more equipments, specimen & Consumables worth Rs. 3.00 lac. 1	
2.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महावि. आमदी नगर, हुडको भिलाई, जिला—दुर्ग	बी.सी.ए. (All Compulsory Subject)		Inspection Date - 21-05-2014 The Committee visited the college Swami Shri Swaroopanand Saraswati Mahavidyalaya on 21-05-2014 and Observed the following: 1. The College has adequate facility, for running the BCA program. 2. However, an additional computer lab consisting of at least 30 computers in essential. 3. Currently the computer Science Department has three faculty under the statute 28, it needs two more faculty to be appointed under statute-28. 4. More print version journals in the	स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विनियम 129 में उल्लेखित बिंदुओं के तहत पुनः परीक्षण की जाए।



क.	महाविद्यालय	कक्षा / विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा
•••	का नाम				टीप
		बी.एस.सी.		Inspection Date - 16-05-2014	
		(FC,		The Committee visited the college on 16-	
		Chemistry,		05-2014 for inspection regarding perament	
		Zoology,		affiliation for B.Sc (Biotechnology,	
		Biotechnolo		zoology & Chemistry) for 40 seats, The	
		gy)		course is running since 2005.	-
				1. Four faculty (one each in Zoology &	
	1			chemistry and two in Biotechnology	
				are appointed in section 28 and are	
				working in the College.	
				2. Adequate infrastructure (class room,	
				laboratory for Biotechnology,	
				Zoology and Chemistry) facility are	
				available for 40 students. The lab	
				have sufficient equipments & other	
				facilities for B.Sc. I,II & III. 1130	
				books (430 Biotechnology, 401	
	<u> </u>			Zoology & 299 Chemistry) are	
				available in the Library for Biogroup	
				student. One Journal and one Science	
				magzine are also subscribed by the	1
				College. It is suggested that.	
				3. The College should have at least one	,
		1		faculty each for Chemistry & Zoology	
			·	more under Section 28.	
				4. More number of Books	
	1			(Biotechnology-100, Zoology-100 &	
				Chemistry-200) be procurred in the	
				Library.	
		1		5. The Laboratory facilities be also	
			1	upgraded by procurring more recent	
•				equipments, specimens &	
			[consumables worth Rs. 3.0 lac.	· ·

04. एम.ए. अर्थशास्त्र में 'उषा—पवन दुबे स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने, विनियम क्रमांक 158 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : एम.ए. अर्थशास्त्र में 'उषा—पवन दुबे स्वर्ण पदक' प्रदान किये जाने के लिये विनियम क्रमांक 158 की अनुशंसा की गई।

05. पर्यावरण अध्ययन में व्याख्याता पद पर नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.O.No. F. 13-1/2000 (EA/ENV/COS-I) 2 मई, 2014 पर विचार करना।

निर्णय : पर्यावरण अध्ययन में व्याख्याता पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन मंत्रालय, मारत सरकार से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.O.No. F. 13-1/2000 (EA/ENV/COS-I) 2 मई, 2014 के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा जावे।

- 06. स्नातक स्तर में छात्रों के प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.O.No. 1-52/2013 (CC/NSQF) अप्रेल 30, 2014 पर विचार करना।
- विर्णय : स्नातक स्तर में छात्रों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.O.No. 1-52/2013 (CC/NSQF) अप्रेल 30, 2014 के संबंध में उच्च शिक्षा विमाग, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा जावे।
- 07. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के गठन हेतु छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(पांच) के अंतर्गत विद्यापरिषद् द्वारा निम्नांकित ख्याति प्राप्त तीन विद्वानों के नाम के अनुमोदन पर विचार करना।
 - (1) डॉ. पुलोक के. मुखर्जी, डायरेक्टर, स्कूल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता
 - (2) डॉ. श्रीनिवासन नरसिम्हन, आस्थागिरी हर्बल रिसोर्स फाउंडेशन, 7/1, सुंदरम कालोनी, चेन्नई
 - (3) डॉ. ए.टी. दाबके, पूर्व कुलपति, छ.ग. आयुष स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर
- निर्णय : विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के गठन हेतु छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(पांच) के अंतर्गत विद्यापरिषद् द्वारा निम्नांकित ख्याति प्राप्त तीन विद्वानों के नाम के अनुमोदन किया गया :--
 - (1) डॉ. पुलोक के. मुखर्जी, डायरेक्टर, स्कूल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता
 - (2) डॉ. श्रीनिवासन नरसिम्हन, आस्थागिरी हर्बल रिसोर्स फाउंडेशन, 7/1, सुंदरम कालोनी, चेन्नई
- (3) डॉ. ए.टी. दाबके, पूर्व कुलपति, छ.ग. आयुष स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

 08. माँ बहादुर कलारिन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, गुरूर जिला—बालोद के समिति के हस्तांतरण के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र पृ. क्र. 1639/319/2014/38—2 रायपुर दिनांक 23.04.2014 के आदेशानुसार उक्त महाविद्यालय को सचिव, विद्या कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी, मधुवन स्कूल के पास, अशोक नगर, गुढ़ियारी, रायपुर को हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

- (P)
- 09. पी—एच.डी. संबधी पूर्व अध्यादेश क्रमांक 45 पर पंजीकृत होकर शोध उपाधि धारकों द्वारा 🗻 रेगुलेशन 2009 की समकक्षता का प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: पी—एच.डी. संबंधी पूर्व अध्यादेश क्रमांक 45 पर पंजीकृत होकर शोध उपाधि धारकों को रेगुलेशन 2009 की समकक्षता का प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि 11 जुलाई 2009 से 8 जून 2010 के मध्य पंजीकृत हुए शोधार्थियों को समकक्षता प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में परीक्षण कर निर्धारित बिंदु एवं प्रमाण पत्र के प्रारूप तय करने हेतु निम्नानुसार संकायाध्यक्षों की समिति का गठन किया गया :—
 - (1) प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, अध्यक्ष, विज्ञान संकाय
 - (2) प्रो. भगवंत सिंह, अध्यक्ष, कला संकाय
 - (3) प्रो. आर. प्रसाद, अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
 - (4) प्रो. एस.सी. नैथानी, अध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय
- 10. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :--

큙.	महाविद्यालय का नाम
1	उदय महाविद्यालय, नेरा, ए.सी.सी. बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला- दुर्ग
2	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर –6, भिलाई नगर, दुर्ग
3	कांतिदर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर भिलाई
4	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, मनसा आई.टी.सी. कैम्पस, कोहका रोड़, कुरूद, भिलाई
5	राष्ट्रीय एवं वैदेशिक भाषा संस्थान, अथर्व आई.टी. कैम्पस, गौरव पथ, दुर्ग
6	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
7	सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-तुलसी, मंदिर हसौद, रायपुर
8	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम— बेलभाटा, अभनपुर जिला— रायपुर
9	आदर्श कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, नई गंज मण्डी, रायपुर
10	सेंट्रल कॉलेज ऑफ आई.टी. फाफाडीह, रायपुर
11	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई रोड, आमापारा, रायपुर
12	प्रगति कॉलेज सेंट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर
13	विकास शिक्षा महाविद्यालय देवपुरी-फुंडहर मार्ग, डूमरतराई, रायपुर
14	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेलभाटा, अभनपुर जिला– रायपुर
15	सोमनी महाविद्यालय, सोमनी तह. व जिला– राजनांदगांव
16	कमलाकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट, देवरी, भाटापारा, जिला- बलौदाबाजार- भाटापारा
17	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2014—15 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता आदेश प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। *प्रगति कॉलेज सेंट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर के संबंध में बाद में निर्णय लिया जावेगा।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

- छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र पू. क्र. एफ 1. 17-24/2013/ 38-1 रायपुर दिनांक 12.05.2014 के आदेशानुसार शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय, जिला-राजनांदगांव का नाम 'शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, जिला-राजनांदगांव" नामकरण किये जाने का अनुमोदन किया गया।
- विश्वविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अशैक्षणिक पदों यथा संचालक / कंट्रोलर, 2. सिनियर सिस्टम प्रोग्रामर, सिस्टम प्रोग्रामर/सिस्टम एनालिस्ट, ट्रेनिंग सह प्लेसमेंट ऑफिसर, जनसम्पर्क अधिकारी एवं लेखा अधिकारी की शैक्षणिक अर्हता/अनुभव के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 16.05.2014 एवं 20.04.2014 में की गई अनुशंसा, का अनुमोदन किया गया।
 - शोध में गुणवत्ता के लिए पी-एच.डी. शोध ग्रंथ (Thesis) जमा करते समय Research (i) Paper की अनिवार्यता के क्रम में Peer reviewed Journal/Referred Journal/Impact factor Journal या रविशंकर विश्वविद्यालय के शोध पत्रिका में प्रकाशित होने पर ही मान्य करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र DRC से लिया जावे।
 - रिसर्च सुपरवाईजर के पंजीयन हेतु पी-एच.डी. आर्डिनेंस में उल्लेखित स्टैंडर्ड जरनल (ii) में प्रकाशित होने वाले शोध पत्र उनके शोध प्रबंध से बाहर की रचना होनी चाहिए। साथ ही प्रकाशन के लिए रिसर्च सुपरवाईजर को भी शोध में गुणवत्ता की दृष्टि से बिंदु 3(i) के अनुरूप प्रकाशन होने पर शोध पत्रों के प्रकाशन का लाभ मिल सकेगा।
 - एक सत्र में शोध निर्देशक के निर्देशन में अधिकतम 2 शोधार्थियों के पंजीयन कराने की (iii) अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

पृ. क्र. 508 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2014

रायपुर, दिनांक:**ं 7**+ 06 /2014

प्रतिलिपि :-

- समस्त संकायाध्यक्षों को.
- 2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / उ.कू.स. गोपनीय,
- वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण.
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं रिवशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

माननीय कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु टीप

सेमेस्टर परीक्षा (स्नात.) सत्र 2013—14 हेतु कुल 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रू. 12,50,000/— (रू. बारह लाख पचास हजार) का भुगतान संलग्न सूची के अनुरूप संबंधित केन्द्रों के नाम के सम्मुख दर्शायेनुसार स्वीकृत किया गया है। अतः उक्त राशि कार्य परिषद् में रखे जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।





हालि अन्य प्रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



केंद्र / महा.क	टर परीक्षाह् भिनातको त्तर) सत्र 2013—14 के लिए प्राप्त परीक्षा केन्द्र का नाम	पराक्षा कन्द्रा	को संशोधित सूची (दिनांक 21	.11.2013 की स्थिति
151.9	गड हैत	कोर		
10	निर्मानवाराच अध्ययनशाला, परशु वि वि., रायपुर	1C	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	***
107	र शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा. पुरानी बस्ती, रायपुर	11 10 11	30,0001-	
112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर	1(11 11	30,000/-	•
115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर	1' 1; 1;	40,000/-	
119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर	1;	30,000/-	·
128	कला-वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर		30,000/-	
164	शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा-नेवरा)	1	20,000/-	
201	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महा., अमनपुर	1	20,0001-	
203	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार	2 2	50,000 -	
205	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा	2	30	
209	शासकीय राजीव गाँधी महाविद्यालय, सिमगा शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय,	2	30,000/- 20,000/-	
251	14414	2	30,000/-	
255	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	1 2	20,000/-	
301	शासकीय वीर सुरेन्द्र साग्र महा, गरियाबंद शासकीय महाप्रमु वल्लमाचार्य स्नातकोत्तर महा.		20,000/-	
306 m	महासमुन्द श्रीसकीय खे.ल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय,		30,000/-	
			20,000/-	
309 351	शास.स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहमहा., सराईपाली		40,000 1-	
361	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव महा., धमतरी		_	
365			20,000/-	
	ाराग्य गरावद्यालय, कुरूद		20,000/	
	शासकीय हो लाम जान		30,000/-	
	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग		30,000/-	to accept
)4	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग		30,000/-	

S	90	000
	•	,

`_~			
*	141	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर	
	,		Lange
			40,000/-
	<u> </u>		Ť.
	461	William Harbarray 60-1	7617.71
	, 401	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3	30,000/-
		,	-
	463	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई	
	464	शासकीय महाविद्यालय, पाटन	20,000/- 40,000/-
	468	शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा	40/10/-
			20,000,-
	501	शासकीय पंज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा.,	115 / /
		बमतरा	40,177/.
	502	शास. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा	2r and
	551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय,	28,000/-
L		। बालाद	40/20/-
	552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	
-	562	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय टल्लीगजहरू	20,078/
. -	564	शा. महा. खेरथा , जिला-बालोट	20,000/-
	601	आचार्य पंथ श्री गृंधमुनि नाम साहेब शास. महा.,	20,000/-
-		। कवधा	60,000/-
-	605	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई	·
-	657	शासकाय कमलादेवी महिला महा राजनांद्रगांत	20000/- 40,000/-
-	665	शासकाय लालचकघर शाह महा अपनागर नी के	
-	668	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डॉगरगॉव	20,000/-
	6 69	शासकीय पं.ज.ला.ने. महा., डोंगरगढ़	20,000 1-
+	6 70	•	20,000/-
-	0/0	शासकीय महाविद्यालय, घुमका	20,0001-
	671	शासकीय रानी रश्मि देवी सिंह महा, खैरागढ़	
-			30,000/-
Ĺ	673	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर	20,000/-

कि (भीमति) त्रीति मुनेश भी प्रार्थापक कार्मोर्न अंश्वान पं र 25 वि कि , 212142

डिट कामरकात वार्ष्ट्रेश

319/111-म द्वा शा. ११. १ पं.र-म्य ति । ति , वासपुर- Tetal- 1150,000/-

5000-

50,000

(13)

12,50,000/-

माननीय कार्यपरिषद् में रखे जाने चाले टीप

मुख्य परीक्षा 2014 के संचालन हेतु द्वितीय किश्त के रूप में कुल 112 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रू. 70,89,000/— (रू. सत्तर लाख नौवासी हजार नाग्र) का भुगतान संलग्न सूची के अनुसार संबंधित केन्द्र के नाम के सम्मुख दर्शायेनुसार स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त राशि आगामी कार्य परिषद् में रखे जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



E-Mail : rsuexam@gmail com

कंद्र /, महा कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
जिला –	रायपुर	
	🗤 विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर	
e6 103	शास जे. योगानन्देम छत्तीसगढ़ महा., बैरनबाजार, रायपुर	20,000/-
104	त्र शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर	30,000/-
105	शास. नागार्जुन रनातकोत्तर विज्ञान महा., जी.ई. रोड, रायपुर	30,000
106		30,000
ሳ 107	शास डॉ. राधा बार्ड नवीन कन्या महा, परानीबस्ती	50,000
)t 112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर	60,000
113	विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर	80,000
18		
20 ⁴ 115	महत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर	180,000
22 116 d	श्रीमती प्र.गो.दास डागा कन्या महा., कचहरी चौक, रायपुर	100,000
JA 117	🛚 गुरूकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर 🗸	250,000
118	विप्र कला / वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर	80,000
119 4 \	<u></u>	100,000
120 V	५ महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर	20,000
121	प. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., शंकरनगर, रायपुर	100,000
4 122	्र अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर	<u> </u>
124	दिशा महाविद्यालय, रामनगर, रायपुर	
127	सेन्द्रल कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर	
128	🖟 कला–वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर.	80,000
12 129	आदर्श कला—वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर	40,000
<u>130 g</u>	केन्द्रीय-जेल, रायपुर (उप केन्द्र)	
6 131 q	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर	30,000
		1360,000 /-

कट / मह	
कांउ परीक्षा केन्द्र का नाम	· ·
4८ । 158 💤 शास. पं १याभाचरण शुक्ल महाविधालय धरसीवा रायपुर	15077
5८ १५९ 🕉 कें श्री साईनाथ महाविद्यालय, परसतराई (धरसीवा)	10,000
52 160 क्रोनानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महा, खरोरा	20.000
54 163 २५ शिक्षा रनातक महाविद्यालय, मॉढर	30,000
56 164 % शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा—नेवरा) 52 166 भी संचुरी सीमेंट महाविद्यालय, वैकुंट (तिल्दा)	<u>60,000</u>
52 166 देरीसंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैंकुंड (तिल्दा) १८ 167 % विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज	<u> </u>
162	20,000
62 29	80,000
64 169 अ शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	75000
८% 170 ३ नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा, अभनपुर	23000
948 174 को शेर फनवंद अपना नापिया नवापारा	50,000
ि 175 ९३ सेट फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा (राजिम) <i>जिला— बलौदाबाजार —भाटापारा</i>	120,000
228 201 3% शास. डी.बी.डी.कॅ. महा., बलौदाबाजार	1 470 4700
23° 202 के शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार	100,000
२०२ भागकी जी पर प्रकारिक पर	20.000
232 36	70,000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,0000
20 11 11 12 12 13 14 17	20,000
	20,000
भटगाँव	10,000
२५० ²⁰⁹ शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय. भे बिलाईगढ	30,000
े 2210 भ≯ शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल ↓	55000
जिला– गरियाबंद	
7/) 251 1/3 शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	30,000
76 252 M आर्यभट्ट कला-विज्ञान महा., कोपरा	20.000
্বি 253 মু शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)	10,000
255 शासकीय वीर सुरेन्द्र साथ महाविद्यालय, गरियाबंद	
916	1 00,000
84 259 _{11 र} शासकीय महाविद्यालय, देवभोग	0
2 कि 1 कि नवीन शास. महा. मैनपूर, गरियाबंद	80,000
जिला- महासमृद	
204	
1) महासमुन्द	100,000
82 302 % शासकीय माता कर्मा कन्या महा., महासमुन्द	30.000
e) 303 ६) शांत्रीबाई कला–वाणिज्य महा., महासमुन्द	30000
ा <u>अर्थ अभारतीय खे.ल. कला / वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा</u>	60,000
307 5 शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा	80000
व 🖒 308 ५ भे शासकीय स्व. जयदेव संतपथी महा., बसना	110,000

1518,000/-1360,000/-2878,000/-



कंद्र / महा कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम कोड
	शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली	
(C)	·	250,000
5	<u> </u>	
जिला	धमतरी	1
351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय, धमतरी	
	,	350,000
ict		
, , ,		-
1	~	-
		-
07 352	शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय.	11000
	े धमतरी	60.000
` ======	हिं शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, सिहावा (नगरी)	30,000
* ¾——	र्भशासकीय महाविद्यालय, भखारा, धमतरी	90,000
07 363	प्र छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा	
364	भू कला महापद्मालय, जानगय (जा)	150,000
365	हे शासकीय महाविद्यालय, कुरूद हुने शास. महाविद्यालय, मगरलोड जिला धमतरी	30,000
368	७० शास. महाविद्यालय, मगरलाङ जिला प्रमारत	1 30,000
<u>जिला -</u>	- दुग ्री शासकीय व्ही एन यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय,	150,000
16 401	जी.ई. रोड, दुर्ग	130,000
402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग	1 CT OTT
18	and the second of the second o	100,000
8. 0 403	hb जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	20,000
122 404		100000
406	रूँगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, दुर्ग	
24	b ¹	2000
423	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर	
		150,000
b	63	
*		Company of the second
2 426	ी भिलाई नायर समाजम् महा., सेक्टर-४, भिलाई	50,000
30 427	भू तक्षशिला महा., इंजीनियर्स भवन, सिविक सेंटर, भिलाईनगर	30,000
428	्री श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाईनगर	
32-	77	100,000
-		
6 7	3 शारा महाठ बोरी, दुर्ज (उपकेट)	11000
····	(3477)	

3

1772000/-2878000/-4650,000/-

ь		4	
	केंद्र / महा. होड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का
31	430 ~\`\	साँई महाविद्यालय, सेक्टर–6, भिलाई .	60,000
136	434.	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर–9, भिलाईनगर	50.000
3£	435 •4{	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको, भिलाई	70,000
HO	441 1	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर .	50,000
256	448 •\Y	एम.जे. कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, कोहका—जुनवानी रोड, भिलाई	15000
14)	450	जी.डी. रूगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	30,000
	79		
44		इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर	50,000
4/4	458 21	्नागरिक कल्याण महा., नंदिनीनगर विकास कर्याल के किल्ला	\$9,000
218		-शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3	50,000
50	463 %	/शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतर्इ	60,000
57) शासकीय महाविद्यालय, पाटन शासकीय महाविद्यालय, जामगाँव आर	50,000
4	465 9-F	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10,000
6	468 76	शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा	50,000
_	जिला- बे		
58	501 9 1	शासकीय पं.ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा., बेमेतरा	100,000
tra [502 47	शासकीय पं. देवीप्रसाद चौबे महा., साजा	50.000
	- 503 ¥g	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेरला, दुर्ग	20,000
61	504 a	शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, दुर्ग	20,000
bt	505_ प्र <u> </u> जिला—बाल	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़	
2	551 c/7	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	150,000
PC	552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	30,000
c_{\perp}		शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला	30,000
2	95	शासकीय शहीद कौशल यादव महा., गुण्डरदेही	60,000
16	40	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डोंडीलोहारा.	20.00C
90	- 47	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुरूर	50,000
2.4	561 ag	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डौंडी	30,000
36_	562 99	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	80,000
32_	564 1	शासकीय महाविद्यालय, खेरथा	9000

1274000/-11650,000/-5924000/-

	/	······································		
<u>_</u> ;	 केंद्र / महा कोड 	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा.	
		कबीरधाम	कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
ż	601			
. 19		आचार्य, पंथ श्री गृंथमुनि नाम साहेव शास महा कवर्धा	_ +	
<u>.</u>				250,000
	701		Í	
		: ! !		
02		WILL THE CO.		
1017	605 1-) शास. राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महा., कवर्धा १५२१ थी नी ती नु		20,000
	7. 222 HO	214 21 6 U 718 9 9 7 7 7 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- +	
196	607	शासः गजानंद माधव मुक्तिबोध महाः, सहसपुर लोहारा		40,000
17 8	608	र जिल्लामध्य महाविद्यालय हारहत्ता		20,000
25%	! !	शासकीय नवीन महा., पाण्डातराई		20,000
201	Tot			·
	for an			
	जिला – र	जिनी देगाव	-	
**** ** ****	651	शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव		
202	107		 	7000
	(5)			200,000
202	655 3			
.]	300.	गासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगाँव	1	
	1021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,000
204	657 109 8	गासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव		
206 208	, - 114 · ·	11 1919 (11(11(16))) 9112 TIZT 2 11		80,000
	200 Mile 4	11 to 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		50,000
212		गतिकाय राना सरामच्या हेती. एक 🗝	<u> </u>	20,000
<u>1</u>		11/14/14 Odile Hellderlan ahrene	· 	20,000
214	DD3 4445	र्भिकाय प्रज्ञाने पना र्		20,000
216	^{67∪} 11/5₹∫	सिकीय महाविद्यालय घमका		80,000
218	- 671 1 개 원	सिकीय रानी रिकेट के किल कर र		30,000
220		राकाय केजीबहारी चौबे महाविद्या		10,000
224				
224	317 119 XII	त. पारागना राना अवतिबादे कला वाणि चन्न		30,000
72b		सकीय महाविद्यालय, मोहला		10,000
	120			5000
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

1165 000 /-5924 000/-70,89 000/-

(12)

नस्तो क्रमांक ्र च्या चार्षिक क्रमांक चार्षा का नाम-
प्रभारी अधिकारी का नाम श्री
प्रभारी विषिक का नाम श्री
EAGE will then been also seen total seen then then then then then then then t

Subject: Proposal for appointment of consultant for NCNR Project regarding ...

One of the most important mandates of the NCNR Project is to carryout plant survey work in the forested areas of Mahasamund, Rajnandgaon, Sarguja, Jashpur and Raigarh districts with special reference to medicinal plants.

It is essential and important to identify the plants, including medicinal plants during the survey work. The taxonomic identification of the plants requires expertise and experience.

Dr. M.L. Naik – former professor & head of the School of Life Sciences, Pt. Ravishankar Shukla University – now superannuated – has kindly consented to offer consultancy during the survey work. He is an eminent plant taxonomist and possesses vast experience of conducting survey work in the forested areas of Chhattisgarh.

It is proposed that Dr. M.L. Naik be invited to offer consultancy during and after the field work as and when required. It is again proposed that he be offered Rs. 1000.00 per day as consultancy fees to the maximum limit of Rs. 25000.00 in a month. During the field work he will be entitled for TA/DA at par with the Co-Coordinators and other project staff.

The NCNR project has provisions for consultants under the head "Manpower Budget" [attached].

Submitted for consideration and approval,

305/14

11/1/01

NO. IR/SO/LU/0008/2011 Science and Engineering Research Board (SERB)

Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi - 110016

Dated: 03.07.2012

ORDER

Subject: -Financial approval for the establishment of the Centre entitled "National Centre for Natural Resources" submitted by Dr. S. K. Pandey, Vice-Chancellor, Pt. Ravishankar Shukla

The sanction of the SERB is hereby accorded to the above-mentioned project at a total cost of Rs. 9,05,00,000/-(Rupees Nine crore five lakh only) with break-up of Rs. 6,45,00,000/- (Rs. Six crore forty five lakh only) under Capital head and Rs. 2,60,00,000/- (Rs. Two crore sixty lakh only) under General head for a duration of three years. The items of expenditure for which the total allocation of Rs. 9,05,00,000 /- has been approved for a period of three

A.	Non-recurring (Capital Items) (A	mount in Rs.)
	I) EQUIPMENT: 1. a) PCR b) Real Time Rapid PCR (RT-PCR) 2. Electrophoresis System and Gel Documentation 3. Soxhlet Extraction Plant 4. Super-critical Fluid Extraction Unit 5. LC-MS-MS system 6. FTIR Spectrometer with computer	56500000
	8. NMR Spectrometer-400MHz 9. Fluorescence Spectrophotometer 10. Atomic Absorption Spectrophotometer 11. Deep Freezer (-86°C - 1 No.) and -20°C - 2 Nos.) 12. Lyophilizer 13. Other Miscellaneous Instruments a). Conductivity meter	
	b) pH meter c). Micropipettes d) High speed centrifuge+ Rotors e) Water Purification System f) Analytical Balance g). Laminar Air Flow h) UV Spectrophotometer i) Analytical Balance and Moisture Analyzer j) Solvent Extraction System	

	II: OTHER COST:	<u> </u>
	Infrastructure Development a) Poly House and Drip Irrigation System b) Vehicle (2 Number)	8000000
	a) Poly House and Drip Irrigation System	
	(2 Numbers)	
	c) Herbarium preparation	
	-d)-Lab preparation	
j	d)Green House	
-	e)Herbal Garden	
1	e) Tissue Culture Room	
L	Total 'X': I+II	
		64500000
		Cont

Cont.2



B. Recurring Items (General)

	TOTAL
	(in Rs.)
(i) MANPOWER BUDGET:	13000000
1. RA (PDF) -05	•
2. Project Fellow-10	
3. Technical Assistant-05	
4. Field Assistant-06	
5. Visiting Scientist/Consultant/Advisor	
(ii) CONSUMABLES	5000000
(iii) TRAVEL	2000000
(iv) CONTINGENCY	3000000
(v) MISCELLANEOUS	2000000
(Works and Services, Annual Conference and Advisory Committee Meetings)	
SUB-TOTAL	25000000
(Manpower, Consumables, Travel, Contingency, Miscellaneous (Works and Services, Annual Conference and Advisory Committee Meeting)	
OVERHEADS	1000000
TOTAL 'Y' Including Overhead	26000000
Total 'X+Y'	90500000

- 2. Overhead expenses are meant for the host Institute towards the cost for providing infrastructural facilities and benefits to the staff employed in the project etc.
- The sanction of the SERB is also accorded to the payment of Rs 5,00,00,000/- (Rs. Five crore only) { Rs 4,00,00,000/- (Rs. Four crore only) under 'Grants for creation of capital assets' and Rs. 1,00,00,000/- (Rupees One crore only) under 'Grants-in-aid General'} to The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla research project.
 - 4. Sanction of the grant is subject to the conditions as detailed in Annexure -1.
 - 5. The amount of Rs 5,00,00,000/- (Rs. Five crore only) will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer of the SERB and will be disbursed to The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
 - 6. The expenditure involved is debitable to

The above release is made under "Grant-in-aid" Science and Engineering
Grants for creation of capital assets: Rs 40000000/Grants-in-aid General: Rs. 10000000/-

- 7. The Sanction has been issued under the powers delegated to the Science and Engineering Research Board and with the concurrence of Programme Coordinator vide sanction number SERB/F/1895/2012-13 dated 03.07.2012.
- 8. The Institute will furnish to SERB, utilization certificate and audited statement of accounts pertaining to the grant immediately after the end of each financial year.
- 9. All purchases of equipments etc. would be as per GFR and the disposal of the same would be done with prior approval of SERB. Expenditure related to civil works should be as per GOI guidelines and norms.

(R K Joshi) Scientist -C

Cont....3



B. Recurring Items (General)

	TOTAL
	(in Rs.)
(i) MANPOWER BUDGET:	13000000
1. RA (PDF) -05	
2. Project Fellow-10	
3. Technical Assistant-05	
4. Field Assistant-06	
5. Visiting Scientist/Consultant/Advisor	
(ii) CONSUMABLES	5000000
(iii) TRAVEL	2000000
(iv) CONTINGENCY	3000000
(v) MISCELLANEOUS	2000000
(Works and Services, Annual Conference and Advisory Committee Meetings)	
SUB-TOTAL	25000000
(Manpower, Consumables, Travel, Contingency, Miscellaneous (Works and Services, Annual Conference and Advisory Committee Meeting)	
OVERHEADS	1000000
TOTAL 'Y' Including Overhead	26000000
Total 'X+Y'	90500000

- 2. Overhead expenses are meant for the host Institute towards the cost for providing infrastructural facilities and benefits to the staff employed in the project etc.
- 3. The sanction of the SERB is also accorded to the payment of Rs 5,00,00,000/- (Rs. Five crore only) { Rs 4,00,00,000/- (Rs. Four crore only) under 'Grants for creation of capital assets' and Rs. 1,00,00,000/- (Rupees One crore only) under 'Grants-in-aid General'} to The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla Project.
 - 4. Sanction of the grant is subject to the conditions as detailed in Annexure I.
 - 5. The amount of Rs 5,00,00,000/- (Rs. Five crore only) will be drawn by the Drawing and Disbursing Officer of the SERB and will be disbursed to The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
 - 6. The expenditure involved is debitable to

The above release is made under "Grant-in-aid" Science and Engineering
Grants for creation of capital assets:
Grants-in-aid General:
Rs. 40000000/Rs. 10000000/-

- 7. The Sanction has been issued under the powers delegated to the Science and Engineering Research Board and with the concurrence of Programme Coordinator vide sanction number SERB/F/1895/2012-13 dated 03.07.2012.
- 8. The Institute will furnish to SERB, utilization certificate and audited statement of accounts pertaining to the grant immediately after the end of each financial year.
- 9. All purchases of equipments etc. would be as per GFR and the disposal of the same would be done with prior approval of SERB. Expenditure related to civil works should be as per GOI guidelines and norms.

(R K Joshi) Scientist -C

Cont....3

- (26)
- 10. The Institute will maintain separate audited accounts for the project. If it is found expedient to keep a part or whole of the grant in a bank account earning interest, the interest earned should be reported to SERB. The interest thus earned will be treated as a credit to the Institute to be adjusted towards further installment of the grant.
- 11. As per Rule 211 GFRs, the accounts of the project shall be open to inspection by the sanctioning authority / audit whenever the Institute is called upon to do so.

(R K Joshi) Scientist -C

Copy forwarded for information and necessary action to: -

Copy forwarded for information and necessary action to: -

- 1. The pay & Accounts officer, Science & Engineering Research Board (SERB), New Delhi.
- 4. Copy with two spare copies of the sanction to the Drawing and Disbursing Officer, SERB, Cash Section.
- 5. SERB Secretariat
- 6. Dr. S. K. Pandey, Vice-Chancellor, Pt-Ravishankar Shukla University, Raipur: 492010
- The Registrar,
 Pt. Ravishankar Shukla University,
 Raipur: 492010
- 6. File Copy 2 Nos.

hy

Scientist - C



पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रासपुर (छ्ञा)



विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक सोमवार, दिनांक 23 जून, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

- 01. संविदा नियुक्त 02 उप कुलसचिवों एवं वित्त नियंत्रक तथा लेखा अधिकारी की संविदा सेवा अविध पूर्ण होने के उपरांत संविदा सेवा अविध में वृद्धि के संबंध में विचार करना। टीप: कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
- 02. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता को ग्रंथपाल पद से कार्य-मुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना। टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
- 03. डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार करना।

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

- 04. महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में छात्र संघ के गठन से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 1 एवं 2 के अनुमोदन पर विचार करना।
 - टीप : 24वीं समन्वय समिति के पूर्व स्थायी समिति की बैठक दिनांक 4 जून, 2014 में अध्यादेश क्रमांक 1 विचार हेतु रखा गया था, इसी प्रकार विश्वविद्यालय छात्र संगठन से संबंधित अध्यादेश तैयार किया गया है। अतः अध्यादेश क्रमांक 1 एवं अध्यादेश क्रमांक 2 कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। अध्यादेश क्रमांक 1 एवं 2 की छायाप्रति संलग्न।
- 05. विश्वविद्यालय के भवनों की साफ-सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना। टीप: कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
- 06. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर सिमिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

[•] स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

07. एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के मद से उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

टीप :एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के कार्य हेतु मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित संलग्न उपकरणों की सूची — (1) Directorate of Science & Technology New Delhi द्वारा अनुमोदित है।

- (2) उपकरणों के क्रय हेतु नियमानुसार निविदा पद्धति से दर प्राप्त किया गया, जिसे विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति ने अनुमोदित किया है।
- (3) संलग्न सूची के उपकरण का मूल्य 5 लाख से अधिक है। अतः वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
- 08. Consultant एवं NCNR Project Staff के लिये मानदेय एवं विशेष मत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

09. वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण करना।

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

10. पं. रिवशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के acoustics सुधार, एयर कंडीशन एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के संबंध में विचार करना।

टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

<u>े</u> कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



विषय:- <u>संविदा नियुक्त 02 उप कुलसचिवों एवं वित्त नियंत्रक तथा लेखा अधिकारी की संविदा सेवा</u> अविध पूर्ण होने के कारण संविदा सेवा अविध में वृद्धि बाबत्।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 9-16/2013/38-2 दिनांक 23.09.2013 के द्वारा डॉ. आर.के. अग्रवाल एवं डॉ. जे.एल. गंगवानी, सेवा निवृत्त प्राचार्य को उप कुलसचिव के पद पर संविदा सेवा अविध में पूर्व आदेश के अनुक्रम में दिनांक 16.07.2013 से 01 वर्ष की वृद्धि की गई है।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के उपरोक्त आदेशानुसार डॉ. अग्रवाल एवं डॉ. गंगवानी की 01 वर्ष की संविदा सेवा अविध दिनांक 15.07.2014 को पूर्ण हो रही है।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 9-11/2012/38-2 दिनांक 10.01.2014 के द्वारा पूर्व आदेश के अनुक्रम में श्री बी.सी. बिश्वास, वित्त नियंत्रक की संविदा सेवा अविध दिनांक 01.08.2013 से 01 वर्ष के लिये वृद्धि की गई है।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के उपरोक्त आदेशानुसार श्री बी.सी. बिश्वास, वित्त नियंत्रक की 01 वर्ष की संविदा सेवा अविध दिनांक 31.07.2014 को पूर्ण हो रही है।

उपरोक्त अधिकारियों की संविदा नियुक्ति अविध में एक वर्ष की वृद्धि हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2373/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 05.06.2014, एवं पत्र क्रमांक 2374/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 05.06.2014 के द्वारा छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। इस संबंध में शासन से आदेश प्राप्त होने में विलंब संभावित है।

उपरोक्त उल्लेखित अधिकारियों की संविदा सेवा अविध पूर्ण हो रही है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 03 उप कुलसचिव एवं 06 सहायक कुलसचिवों के पद रिक्त है। विश्वविद्यालय में अधिकारियों की कमी के कारण कार्यालयीन कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इन अधिकारियों की संविदा नियुक्ति पुनः 01 वर्ष के लिये की जानी है। तािक विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से संचािलत की जा सके।

अतः छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से आदेश प्राप्त होने की प्रत्याशा में डॉ. आर.के. अग्रवाल एवं डॉ. जे.एल. गंगवानी, उप कुलसचिव को दिनांक 16.07.2014 से तथा श्री बी.सी. बिश्वास, वित्त नियंत्रक को दिनांक 01.08.2014 से 01 वर्ष या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, निरंतर कार्य करने की अनुमित हेतु कार्यपरिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6072/स्था./सा.प्रशा./13 दिनांक 13.08.2013 के द्वारा श्री के.पी. यादव (सेवानिवृत्त सहायक कोषालय अधिकारी), को लेखा अधिकारी के पद पर दिनांक 16.08. 2013 से 01 वर्ष के लिये संविदा सेवा अविध में वृद्धि की गई है। तद्नुसार इनकी संविदा सेवा अविध दिनांक 15.08.2014 को पूर्ण हो रही है।

अतः श्री के.पी.यादव (सेवानिवृत्त सहायक कोषालय अधिकारी), लेखा अधिकारी को दिनांक 16.08.2014 से 01 वर्ष या उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, के लिये निरंतर कार्य करने की अनुमित हेतु कार्यपरिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



विषय:- डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता को ग्रंथपाल पद से कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में।

डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता, ग्रंथपाल, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने व्यक्तिगत कारणों से ग्रंथपाल के पद पर कार्य करने में असमर्थता का उल्लेख कर अपने मूल विभाग में वापस जाने हेतु दिनांक 02.06.2014 को आवेदन प्रस्तुत किया है तथा इस पत्र को ही 01 माह पूर्व सूचना ग्रहण किये जाने हेतु निवेदन किया है। तद्नुसार 01 माह की अविधि दिनांक 01.07.2014 को पूर्ण होगी।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2311/सा.प्रशा./2004 दिनांक 27.08.2004 के द्वारा डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता को ग्रंथपाल के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अविध में की गई है। तद्नुसार डॉ. सेनगुप्ता ने ग्रंथपाल के पद पर दिनांक 08.10.2004 को पदभार ग्रहण किए हैं।

डॉ. सेनगुप्ता, ग्रंथपाल के 02 वर्ष की परिवीक्षा अविध पूर्ण हो चुकी है। परन्तु इनके नियुक्ति आदेश में न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख होने के कारण स्थायीकरण आदेश जारी नहीं किया जा सका है। वर्तमान में न्यायालय द्वारा प्रकरण खारिज किया जा चुका है तथा संबंधितों का स्थायीकरण प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के द्वारा सेवा त्यागने के संबंध में परिनियम 31 की कंडिका 10(a) का प्रावधान निम्नानुसार है:-

(a) If the appointing authority is not satisfied that the work and/or conduct of the employee on probation is statisfactory, his services may be terminated. In case of termination of the services of the employee on probation, one month's notice shall be given to him or in lieu of notice he shall be paid salary of one month. The probationer may also terminate the engagement by giving one month's notice or one month's salary.

परिनियम 31 की कंडिका 10(a) के उपरोक्त प्रावधानानुसार डॉ. सेनगुप्ता को दिनांक 02.07.2014 से ग्रंथपाल पद से कार्यमुक्त कर शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर को दापस किए जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

प्रति,

विषय-

कुलसचिव जी,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 0

रायपुर, छत्तीसगढ

मेरी सेवा मूल विभाग को वापस करने बाबत्

आदरणीय महोदय,

निवेदन हैं कि कुलसचिव, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 2311/ Gen.Admn./2004 Raipur Dated 27/08/2004 द्वारा मेरी नियुक्ति ग्रंथपाल के पद पर किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-79/2004/38 रायपुर दिनांक 7/10/2004 द्वारा कार्यमुक्त होकर शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के ग्रंथपाल के पद का धारणाधिकार के साथ दिनांक 08/10/2004 से कार्यरत हूं।

व्यक्तिगत कारणों से मैं विश्वविद्यालय ग्रंथपाल के पद पर कार्य करने में असमर्थ हूं ।

अतः मेरी सेवाये मेरे मूल विभाग जहां का मुझे धारणाधिकार प्राप्त है, को वापस करने की कृपा करें ।

इस पत्र को ही विश्वविद्यालय की सेवा से पदमुक्त होने हेतु एक माह की सूचना के रूप में ग्रहण करने की कृपा करें।

सादर

दिनांक-02/06/2014

स्थान-रायपुर

संलग्न- धारणाधिकार आदेश की छायाप्रति एवं विश्वविद्यालय का नियुक्ति पत्र भवदीय

(डॉ.सुपर्ण सेन गुप्ता)

विश्वविद्यालय ग्रंथपाल





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



विषयः- डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति में जाने हेतु आवेदन प्रेषित कर इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय हेतु निवेदन किये हैं।

प्रतिनियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 7(b)(iii) में यह प्रावधान है कि"The Kulpati/Executive Council may depute a University Officer/Teacher/Employee to perform specified service for Private Institution/Body or Govt. on deputation as per delegation of powers. The terms and conditions of deputation shall be as per State Govt. rules in force from time to time."

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला में केवल दो ही नियमित शिक्षक कार्यरत हैं।

अतः डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आवेदन करने हेतु कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत। And John of Registrer

Pt. Revishances Sharla University

Raipw

Sul: For No Objection Confirme

Sir,

In response to edupational by UGC, New

Delhi for the post of Joint Senetary on depution

besis, I have submitted online application for the

Some. Capa of adventisement and print of online

Opplichm Submitted is analosed.

Please is use me No Objection Confirmte

12942 and oblige.

09/05/14

Yans faithfully

No. 2016 No. 2016 Date 1010 S 114 PRSU, RAIPURIC.

Professor & Head S.O.S. in Electronics & Photonics Pt. Ravishankar Shukla University RAIPUR (C.G.) 492 010

ORDINANCE No. 01

(Refer Section -37(xxi))

Students' Union in University Teaching Departments and Colleges

[Effective from Academic Session 2014-15]

1. There shall be a Students' Union consisting of (a) students' council; and (b) activity societies in all university teaching departments (U.T.D., in short) and colleges affiliated to the university. The students' council shall comprise of President, Vice-President, Secretary & Joint Secretary along with all class representatives in all U.T.D.s and colleges, formed by elections. The activity societies shall be nominated bodies.

However, this will not be applicable to those colleges which are up to second session of it's existence.

Provided that the Executive Council of the University may, at the request of any U.T.D. or college, as the case may be, permit it to be exempted from the operation of this ordinance.

Provided further that any U.T.D. or college which is running only course's of one year duration or less shall, too, be exempted from the operation of this ordinance.

- 2. The aims and objectives of the students' union shall be: -
 - (i) to promote and reinforce the democratic values and principles amongst the students and to educate them about their duties and rights in democracy;
 - (ii) to emerge with value oriented leadership qualities and to inculcate a spirit of discipline and also to foster the spirit of brotherhood;
 - (iii) to promote respect for human rights and dignity for the individuals and to eliminate ragging;
 - (iv) to promote intellectual, social and cultural activities in the campuses;
 - (v) to encourage participation in literary, cultural, artistic, innovative and sports activities to bring out their leadership and creative talents;
 - (vi) to promote scientific study and discussion on subjects of national and International importance;

· ·

٨

Ŕ

Ç.

AL.

6

C

C

C

6

6...

6

<u>C</u>

(viii) to nurture a congenial atmosphere of learning and teaching for the development of the institution with the ultimate aim to build a knowledge society;

Provided that the union: -

- a. will not consider or canvass any matter relating to faculty / employees /individual students;
- b. will not undertake any activity that disturbs, the academic calendar approved by the Coordination Committee or is contradictory to the provisions of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973.
- c. will not take up any matter which falls within the jurisdiction of a statutory body other than the University;
- d. will not take up any activity that is against the code of conduct prescribed for the students of the college.
- e. will not indulge in any activity that is detrimental to the peace and tranquility of the university teaching department or the college, as the case may be.
- f. the union shall not identify or associate itself with any political party.
- 3. The Kurpani shall be the Patron of the Students' Union in the University Teaching Department whereas the Principal of the college shall be the Patron of the students' union in the College.
- 4. (i) Any regular student on the rolls of U.T.D. or the college, as the case may be, on or before 14th August shall be eligible to vote for electing his/her class representative and the students' council, subject to the provisions contained in section 20 (viii).

Provided that a student, who has indulged in ragging, shall not be entitled to vote or to contest for the students' council.

- (ii) An eligible student can, at his/her option, also be a member of any one of the societies of the students' union of the college/U.T.D. after completing the prescribed formalities. Such a student can, at his/her option, also become associate member of any other society.
- (iii) An associate member will have all the privileges and rights of a member, except that he/she cannot be nominated to any office of the society.

- 5. (i) The Students' Council shall consist of:-
 - (a) (i) President (ii) Vice President (iii) Secretary & (iv) Joint Secretary.
 - (b) One class representative of each section of every under graduate class (e.g. Part one, two, three) and one representative each from 1st & 2nd semester(combined), one representative from 3rd & 4th semester (combined) of each subject at the post graduate level, elected by the student members of the section/subject/ class from amongst themselves. Wherever semester system is followed at under-graduate classes, the class representative shall be from 1st and 2nd semester (combined), 3rd and 4th semester (combined) and 5th and 6th semester (combined) from each faculty. In case of semester courses of one year duration, the class representative shall, too, be from 1st and 2nd semester (combined) for each of the course.
 - (c) If, at least one representative belonging to any of the following categories is not elected under clause (a) and (b) above, as a member of the council, the Patron shall nominate, as nominated members, one student from each of following categories from amongst the students whose name figure in the electoral roll:
 - (1) Scheduled Tribe (2) Scheduled Caste (3) O.B. C. (4) Person with disability
 - (ii) The following shall be the office bearers of the Student Council:
 - 1. President
 - 2. Vice-President
 - 3. Secretary
 - 4. Joint Secretary,

The office bearers shall be elected by the regular students of the college whose name figure in the electoral roll of the university teaching department or the college, as the case may be. Any student, whose name figures in the electoral roll, can contest for the post of students' council provided one post of office bearer shall be reserved for a woman candidate in the university teaching department/college where women students are also enrolled.

- (iii) In the first year, the post for women will be determined by lottery after which it will rotate in the descending order, as given in (ii), above.
- (iv) The term of the students' council and societies shall commence on the date of it's constitution and end on the 30th April of the academic year.

- (v) One third of the total posts of class representatives in UTD/College shall be reserved for women in those colleges where women students are also enrolled. Posts for women will be determined by draw of lots.
- (vi) A teacher not below the rank of assistant professor in a college/U.T.D. shall be appointed as professor-in-charge of the students' council and the society by the Patron. The professor-in-charge shall also be the treasurer of the council/societies and he/she shall have the right to be present at any meeting of the students' council or the societies and to offer his advice on any matter relating thereto.

C

Ć.

Ć.

*

C.

<u>-</u>

Coul

ندخ

أسأ

- 6. There shall be a Nomination Committee for nominating office bearers of the Activity Societies. The Nomination Committee shall ordinarily comprise up to five members. In case of government colleges, President of Jan Bhagidari Samiti of the college shall be the President of the Nomination Committee and Patron of Students' Union shall be the Secretary of the Nomination Committee. The President of Jan Bhagidari Samiti shall nominate one member to the Nomination Committee. The other two members shall be from the teaching staff, who will be nominated by the Patron. The vice-president/collector's nominee of the Jan Bhagidari Samity shall discharge the roll of President wherever the later is lying vacant. In U.T.D., the Kulapati shall be President of the nomination committee whereas in a private college, the Chairman of Management Committee shall be the President of the Nomination Committee.
- 7.(i) There shall be, in every university teaching department and college, Co-curricular and Academic Activity Societies like (1) Cultural Society (2) Social Work Society [This includes Red cross Society, NCC/NSS (wherever it exists)] (3) Science club (4) Physical Activity Club (5) Society on Gender Issues (6) Knowledge Club (7) Current affairs club (8) Computer literacy Club (9) Book Readers' Club (10) Dramatics Club (11) Fine Arts Club, etc. in a manner prescribed here in below.
 - (ii) There shall be a Working Committee for each Activity Society. The committee shall comprise of President, Vice-President, Secretary, Joint Secretary, and Nominated Members. The numbers of nominated members shall depend upon the strength of bona fide students enrolled in U.T.D/ Colleges, as the case may be. U.T.D/ Colleges with a student strength of up-to-1000 shall have 5 nominated members whereas the number of nominated members can be 10 for U.T.D. / Colleges with a student strength beyond 1000.
 - (iii) The Working Committee of each Activity Society shall be responsible for conducting activities assigned to it. The President of the Working

Committee shall have the right to attend the meeting of the Student Council. He can also offer advice to the Student Council on evolving programs for the Student Council. However such advice shall not be binding upon the Student Council. The other powers and functions and scope of activities of each Society shall be determined by the Patron.

- (iv) The number of nominated members in the Working Committee of each Activity Society shall be governed by the student strength of that U.T.D/ College, as given hereinbefore, in 7(ii).
- (v) The funds generated from the membership fees of any society and those raised by the members of that particular society, with prior permission of the Professor-in-charge, shall be available to carry out the functions and activities of the society concerned.
- (vi) The Activity Society shall be constituted within 21 days from the date of election.
- 8. The Patron shall have the following powers:
 - (a) To preside and address any meeting of the students' council or of the office bearers of the students' council and to address the members thereof, as and when the situation so warrants.
 - (b) to decide all disputes of student council or societies referred to him and his decision in the matter shall be final.
 - (c) to administer the oath of office to members and office bearers of students' union.
 - (d) to annul any resolution or proceedings of the students' council or the societies, as deemed necessary, wherever such a resolution or the proceeding is found to be beyond the powers of the council or detrimental to the interest of the college.
 - (e) to dissolve students' council in the event of violation of the provisions of the ordinance by the students' council or the societies, as the case may be, and to take appropriate action.
 - (f) to remove any office bearer of the students' council or the society from his/her office if the said office bearer has directly or indirectly indulged in ragging;

01

is involved in financial embezzlement;

or

has extracted or tried to extract money illegally from some person/institution or business establishment;

has intimidated any officer or the employee of the college/University to do an illegal act;

Of

indulged in violent activity or have lead violent demonstration or is involved in case of moral turpitude.

- (g) to authorize the arrangement and allocation of funds for the Students' Council and different Societies.
- (h) to decide the membership fees for the members of any of the Societies.
- (i) to call a monthly meeting of student union and the teaching staff.
- 9. The Professor-in-charge of the Student Council or the Professor-in-charge of the Societies shall-have the following powers with respect to the Council/Societies.
 - (a) to conduct the election to the Students' Council.
 - (b) to be present at the meetings of the Students' Council or the Society.
 - (c) to exercise general supervision over the affairs of the Council or the Society if necessary and to advise the Students' Council or the Society in regard to their activities.
 - (d) to be in-charge of the funds of the Council or the Society and to ensure that no part thereof is advanced or spent without the proper authority or for purposes other than those for which they are allocated.
 - (e) to bring to the notice of the Patron any resolution or proceeding or act of any of the bodies or office bearers of the Council or the Society which is in violation of the provisions of the Ordinance or is likely to be prejudicial to the interest of the college.
 - (f) to send to the Adviser-cum-Treasurer of the University, the names of elected President and Secretary, immediately upon the completion of the election.
- 10. The President of the council/societies, as the case may be, shall in the absence of the Patron/Professor-in-charge, preside at the meetings of the students' council or society.
- 11. The President of the council/societies may generally preside over the meeting of the council/societies and shall perform the following duties:
 - (a) Subject to the control of the students' council/societies, to be in charge of the general management of the affairs of the council/Society.

- (c) To ensure that the provisions of the Ordinance are faithfully observed.
- (d) To ensure that any activities organized by the Council/Societies do not become unruly, violent or unlawful nor does it lead to the destruction of the private or public property.
- (e) To discharge any other legitimate functions entrusted to him/her or any legitimate duty imposed on him/her by the Student Council or the Society subject to the approval of the Professor-incharge.
- 12. The Vice President of the Council/Society shall carry out the legitimate work assigned to him/her by the President of the Council/Society respectively and perform the legitimate functions of the President in his/her absence.
- 13. **The Secretary** of the Council or Society, as the case may be, shall carry out the following function:
 - (i) To convene meetings of the Student Council/Society subject to the instructions of the President and approval of the Professorin-charge.
 - (ii) To Prepare and maintain the minutes of the meetings of the Student Council or the Society;
 - (iii) To conduct the correspondence of the Council or the Society and keep all records thereof;
 - (iv) To ensure that the legitimate decision of the Student Council or the Society are carried out;
 - (v) To perform all other legitimate function entrusted to him/her by the President with the approval of the Teacher-in-charge;
- 14. (i) The Joint Secretary of the Council/Societies shall assist the Secretary in the discharge of his/her duties and shall have such powers as may be assigned to him/her by the President with the approval of the Professor-in-charge.
 - (ii) The Joint Secretary shall, in the absence of the Secretary discharge the legitimate duties of the Secretary.
- 15. (i) The Students' Council/Societies, as the case may be, shall have the following powers:-

- (a) To lay down the broad pattern of the activities of the Students' Council/Societies.
- (b) To approve the budget estimates of the Council/Societies.
- (ii) One-third of the total membership of the Students' Council & one-fourth of the total membership of the concerned Society shall constitute the quorum.
- (iii) Each member of Students' Council shall have the right for only one vote.
- 16. (i) The office bearers of the Students' Council/Societies shall meet at least once in every two months. No quorum is required for the meeting of the office bearers.
 - (ii) The office bearers shall be given at least three days notice for an ordinary meeting and clear twenty four hours' notice for an emergent meeting. Agenda of the ordinary as well as the emergent meeting shall be sent along with notice. No ex-agenda item shall be admissible in an emergent meeting.
 - (iii) The minutes of the meeting of the office bearers of the Students' Council /Societies shall be put up for confirmation at the next following meeting.
- 17. **The office bearers** of the Students' Council/Societies, as the case may be, shall:-
 - (i) prepare the budget of the Council/Societies under the guidance of the Professor-in-charge and submit it to the General Meeting of the Students' Council/Societies for approval.
 - (ii) draw up the programme of work to be undertaken by the Council or Societies during the academic session and make necessary arrangement for the implementation of the programme. Provided that no outsider shall be invited to address the Council/Societies or any of its bodies without the prior approval of the Patron/Professor-in-charge.
- 18. (i) The President of the Students' Council may constitute a Students Grievance Redressal Society and Students' Welfare Society.
 - (ii) The number of these societies shall be determined by the Patron keeping in view the size of the college, number of the students and other relevant factors.
- 19. (i) Funds placed at the disposal of the Council by the Patron of the College together with any donations raised by the members of the Council, with the permission of the Patron, shall constitute the funds of the Council.

- (ii) The Professor-in-charge shall draw, out of the fund, money sanctioned by the Council and shall have direct control over it.
- (iii) Whenever any amount is advanced to the President or any member of the Council authorized to receive the amount, the account shall be rendered to the Secretary who shall countersign the vouchers, maintain the accounts of the Council and submit the account with the complete set of vouchers to the Professor-in-charge within a week.
- (iv) The Professor-in-charge and the office bearers of the Council/Societies, as the case may be, shall be responsible for appropriate utilization of the allotted amount.
- (v) Absolute transparency shall be required to be maintained in matters pertaining to the maintenance of accounts of the Student Council/ Societies. Any Student, who is a member of the Council/Societies, shall have the right to see the accounts of the Council/Societies.
- 20. (i) Election shall be held on a date determined in the academic calendar approved by Kuladhipati.
 - (ii) Election shall be conducted by the Professor-in-charge according to the program announced by the Kulpati.
 - (iii) The Professor-in-charge, shall notify 7 days in advance, the date and place of election of office bearers of the Students' Council and Class representatives, the time for filing nomination papers, time for scrutiny of nominations, hours of the withdrawal of nomination, the day, place and duration of the poll, time and place for the counting of votes.
 - (iv) The result of the election shall be declared by the Professor-incharge immediately after the counting of votes is over.
 - (v) If in the opinion of the patron, exigencies exist for postponement of election and a recommendation to postpone or advance the date of election is forwarded to the Kulpati, the Kulpati shall have the power to postpone or advance the date of the elections, with the approval of the Kuladhipati.
 - (vi) The election for the office bearers of the Students' Council and the class representatives shall be held simultaneously.
 - (vii) It shall be, at the discretion of the Professor-in-charge, to give opportunity to candidates contesting for the post of Students' Council or class representative, to speak about his/her plan and programmes to the concerned students, prior to 24 hrs before the commencement of polling.

- (viii) A student shall not be eligible to contest the election or to be nominated to any office of the Council/Society of the College if he/she falls in any of the categories listed below:
 - (a) Has ever been found guilty of ragging.
 - (b) Has passed 10+2 examination earlier than five years before the commencement of the academic session in which the election is held or has taken more than the prescribed minimum period, for whatever reason, for the course of which he is/was a student in the college/ U.T.D. or has an academic backlog.
 - (c) Has failed to pay the tuition and other fees due.
 - (d) Has been convicted by a court of law for any offence or against whom charges have been framed and the criminal proceedings are in progress.
 - (e) Has been punished for use of unfair means at any examination or against whom proceeding is pending.
 - (f) Is in employment while studying in the college.
 - (g) Has passed the last University examination in more than the minimum period required.
 - (h) Has not submitted and got audited the accounts of any advance outstanding against him.
 - (i) Has been punished or disciplinary action is pending against him in the institution.
 - (j) Joined any equivalent course after having failed in one or having left one incomplete.
 - (k) Has been provisionally admitted.
 - (l) Has passed any examination for any degree through supplementary examination or has Carry forwarded any subject/or has backlogged any subject of any semester, as the case may be.
 - (m) Has been expelled from the hostel.
- (ix) No person shall hold the same office more than once during his/her academic career in the College.
- (x) A candidate seeking election shall be nominated by a Proposer and a Seconder who shall be eligible voters.

000

6

c

C

6

6

c

- (xi) In addition to the elected and nominated members of Students'
 Council, any regular student whose name figures in the electoral
 rolls of the college, can contest the elections of the following:
 - 1. President, 2. Vice-President, 3. Secretary, 4. Joint-Secretary.

Provided that only those students can contest for the post of President of the Students' Council, who have been regular students of the college for one year immediately before the present academic session or he/she is enrolled as the student of the post graduate degree course. Provided further that any student shall be eligible to contest election and to get elected for the post of Class Representative once during the under graduate education, and once during post graduate education.

- (xii) Nomination paper shall be filed before the professor-in-charge, as per announced schedule to be displayed on the notice board, for elections to the post of Students' Council/Class Representatives, in the presence of proposer and seconder. In case of Students' Council, the proposer and the seconder can be any student of the College / U.T.D., whose name figures in the electoral roll of the College/U.T.D.; however, for the post of Class representatives, the proposer as well as the seconder shall have to be from the same class/section, as the case may be, of the contestant. Scrutiny of nomination papers, withdrawal etc, shall be done as per the pre-announced schedule to be displayed on the notice board. The nomination paper shall be delivered by the candidate himself, at a place specified for this purpose, in the presence of proposer and seconder.
- (xiii) All the Nominations shall be made in the prescribed form, available with the professor in charge, and a nomination paper shall be declared invalid if:
 - (a) The nomination paper was received after the prescribed date and time.
 - (b) The nomination is not in the prescribed form and it has not been obtained from the Professor in charge.
 - (c) The nomination paper submitted is, in any way, incomplete.
 - (d) The candidate is disqualified to seek election under the provisions of this ordinance.
 - (e) No addition or alterations shall be permitted once the nomination is submitted by the candidate and received by the Professor-in-charge.

- (xiv) (a) If in an election all the nominations are found invalid or no nomination paper is filed, the patron shall nominate a student/students not disqualified under sub para (ix), from amongst the voters concerned, to fill the seat remaining vacant due to the invalidation or for want of nomination.
 - (b) If the number of validly nominated candidates is less than or equal to the number to be elected, all such nominated persons shall be declared elected and the vacancy thereafter, if any, shall be filled up by Patron by nomination as in (a) above.
 - (c) Voting shall take place if the number of validly nominated candidates, after the withdrawals of candidature, is greater than the number of members to be elected, for a particular post. The candidate/candidates, as the case may be, getting the highest number of votes shall be declared elected.
 - (d) The voting shall be done by secret ballot and the candidates securing highest number of votes shall be declared as elected.
 - (e) In case of two or more candidates securing equal number of highest votes, for a particular post, the winner shall be decided by draw of lots, by the Professor-in-Charge.
 - (xv) Every student shall have to abide by the following code of conduct, during the course of election:
 - No candidate shall indulge in, nor shall abet, any activity, which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic, or between any group(s) of students.
 - (b) Criticism of other candidates, when made, shall be confined to their policies and programs, past record and work. Candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected with the public activities of the other candidates or supporters of such other candidates.
 - (c) Criticism of other candidates, or their supporters based on unverified allegations or distortion shall be avoided.
 - (d) There shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes. Places of worship, within or without the campus shall not be used for election propaganda.

- (e) All candidates shall be prohibited from indulging or abetting, all activities which are considered to be "corrupt practices" and offences, such as bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters, canvassing or the use of propaganda within 100 metres of polling stations, holding public meetings during the period of 24 hours ending with the hour fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling station.
- (f) No candidate shall be permitted to make use of printed posters, printed pamphlets, or any other printed material for the purpose of canvassing. Candidates may only utilize hand-made posters for the purpose of canvassing, provided that such hand-made posters are procured within the expenditure limit set out herein above.
- (g) Candidates may only utilize hand-made posters at certain places in the campus, which shall be notified in advance in writing by the university/college authority.
- (h) No candidate shall be permitted to carry out processions, or public meetings, or in any way canvass or distribute propaganda outside the university/college campus.
- (i) No candidate shall, nor shall his/her supporters, deface or cause any destruction to any property of the university / college campus, for any purpose whatsoever, without the price written permission of the college / university authorities. All candidates shall be held jointly and severally liable for any destruction / defacing of any university / college property.
- (j) During the election period the candidates may hold processions and / or public meetings, provided that such processions and / or public meetings do not, in any manner, disturb the classes and other academic and co curricular activities of the college / university. Further, such procession / public meeting may not be held without the prior written permission of the college / university authority
- (k) The use of loudspeakers, vehicles and animals for the purpose of canvassing shall be prohibited.
- (l) On the day of polling, student organizations and candidates shall -:

- (i) Co-operate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and complete freedom to the voters to exercise their franchise without being subjected to any annoyance or obstruction;
- not serve or distribute any eatables, or other solid (ii) and liquid consumables, except water on polling day;
- (xvi) Where a candidate fails to observe the code of conduct or instigates or supports breach of the code of conduct as given above, the Professor-in-Charge may declare his/her election invalid and may also recommend for disciplinary action.
- (xvii) A ballot paper shall be rejected if:
 - it bears any mark or writing by which the elector can be identified; or
 - (b) it bears no mark to indicate the vote or bears a mark other than the mark of the prescribed seal placed for the purpose;
 - a mark of the seal, indicating the vote, is placed in such a (c) manner as to make it doubtful or uncertain as to which candidate the vote has been given; or
 - a voter has given more votes than the number of seats to be (d) filled; or
 - a ballot pape: is signed by the voter. Provided that where (e) there is an uncertainty in respect of any vote/votes not in respect of all the votes given by the voter, the ballot paper shall be void to the extent of the uncertainty only.
- 21. (a) The Patron, at the beginning of the academic session, shall constitute a student election dispute resolution committee. Such dispute/s relating to elections that cannot be resolved by the Professor-in-Charge could be referred by the patron to the committee. The decision of the committee shall be binding.
- 22. If a student elected to an office does not take oath within the prescribed period, the right to the office shall cease and the office shall be deemed to be vacant.
- 23. (i) The Students' Council may consider a motion expressing no confidence in the President or any office bearers or all the office bearers of the Students' Council, if it is sponsored by not less than one-third of the total membership of the Student Council. The motion shall be deemed to have been passed, if a majority of at least

two third of the membership of the Students' Council present and voting at the meeting, and constituting not less than half of the total membership of the Council vote in favour of the motion. Such motion can be moved only on the ground that the office bearer of the Council Concerning Societies has disregarded the provisions of this ordinance or has failed to perform his/her duties. The Students' Council shall be convened to consider the no confidence motion after the Professor-in-Charge decides that the motion is sought to be moved on admissible ground/grounds. The meeting at which such a motion is considered shall be presided over by the Professor-in-Charge.

- (ii) In the event of passing of the no confidence motion against one or more than one office bearers, as the case may be, the Patron shall immediately issue order giving effect to the no confidence motion passed by the Students' Council.
- 24. When a person elected to any office or body of the Council/Societies incurs any of the disqualification listed under sub Para(ix) of Para 2 above, he/she shall be debarred from continuing in such office or body by the order passed by the Patron, and the position held by him/her shall become and remain vacant.
- 25. An office bearer of the Council/Societies or a member of the Student Council or the Society may resign by a letter addressed and submitted in person to the Professor-in- Charge and the resignation shall take effect as soon as the resignation letter is accepted by the Professor-in-Charge.
- 26. The Secretary, Government of Chhattisgarh, Higher Education may call a meeting of Student Union every year. The meeting will be addressed by the Hon'ble Minister, Higher Education. Kulpati or his nominee may also be present in the meeting.
- 27. The Vice-chancellor/ College Principal may call upon the district administration and police to assist in the conduct of elections.
- 28. In the Ordinance or under this ordinance, wherever date and time are specified, they could be changed by the Kulpati with the approval of the Kuladhipati.
- 29. This Ordinance shall be in the super session of the previous Ordinance



AMMENDED ORDINANCE No. 2 UNIVERSITY STUDENTS' UNION

(Refer Section 37 (xxi))

Effective from academic session 2014-15

- 1. The University Students' Union, at the head-quarters of the University, shall be a federation of Students' Union of University Teaching Department / Schools of Studies and colleges, affiliated to the University. President and Secretary of Students Union in every College and in the University Teaching Departments/Schools of studies shall be members of the University Students' Union. Members of Union in University Teaching Departments/School of studies (herein after referred to as "College Union") / Colleges shall, unless disqualified under any provisions of the Adhiniyam, the Statutes or the Ordinances, have the right to participate in the activities of the University Students' Union and to vote to elect or to get elected for the University Students' Council.
- 2. The objectives of the University Students Union shall be:
 - (a) to promote intellectual, cultural, social and corporate life of the students;
 - (b) to foster activities to bring out and develop the creative talents of the students and to promote their welfare;
 - (c) to develop a tradition of service and to inculcate in the students, the sense of social responsibility;
- 3. (i) In order to achieve these objectives the University Students' Union may:
 - (a) Organise and participate in debates, symposia, study circles, lectures, contests scientific and cultural exhibitions, science and literary clubs;
 - (b) Promote social service activities and students welfare programmes;
 - (c) examine and determine the nature and extent of the difficulties of students, such difficulties being of a general nature and not relating to any individual students, in the conduct of their academic, cultural, social and corporate life and place them before University authorities for their solution.
 - (ii) The activities of the University Students' Union shall be spread over the entire area i.e. the territorial jurisdiction of the University and the University Student's Union will avail of assistance of College Unions to implement its programmes. The University Student's Union shall not identify or associate itself with any political party.
- 4. Every College Union shall contribute at the rate of one rupee for each of its members towards the funds of the University Students' Union. The total amount of such contribution payable from out of the Amalgamated Fund/Composition fee, collected every year, shall be sent by the Principal of the College or the Head of the Teaching Department/School of studies to the

Registrar ordinarily not later than the last working of the first week of September, every year.

- 5. If a college fails to remit, by the last date, the prescribed amount of contribution due from its Students' Union, the President and the Secretary, if any, of the said Union of the College shall stand debarred from taking part in the elections of the University Students' Union.
- 6. The Kulapati shall be the Patron of the University Students' Union and the Dean Students' Welfare or when there is no Dean, Students' Welfare, a teacher not below the rank of Associate Professor to be nominated by the Patron shall be its Adviser-cum-Treasurer. If no officer, of the rank of Associate Professor is available, then the patron may nominate an officer of the rank of Assistant Professor for the post.
 - (i) The University Students' Union shall have a Council and an Executive Committee.
 - (ii) The Council shall be composed of:-
 - (a) The Presidents of College Unions and the University Teaching Department, and
 - (b) The Secretaries of College Unions and the University Teaching Department,
 - (iii) The Council shall elect, by simple majority vote, from amongst its members, the following office bearers of the University Students' Union:-
 - (a) President
 - (b) Vice-President
 - (c) Secretary
 - (d) Joint- Secretary
 - (iv) The office bearers, so elected, together with two members of the College/U.T.D. Council from each district, within the territorial jurisdiction of the University, to be nominated by the Kulapati on the basis of draw of lots from amongst all members of the College Council of that District, shall constitute the Executive Committee. Provided that no candidate shall contest the election for more than one office or seek re-election to an office which he has held once.
 - 7. (a) Every professor in-charge of College Union shall send, by Registered Post/Speed Post or through special messenger, every year, the names of the President and the Secretary of the College Union so as to reach the Adviser-cum-Treasurer of the university Students' Union within seven

days of the declaration of the results of the College and U.T.D. Students' Union.

- (b) The Adviser-cum-Treasurer shall compile the names of the President and Secretary of all College Councils, within its jurisdiction, for the purpose of constituting the University Students' Council and also for preparing the electoral roll of University Students' Union. A list of the University Students' Council members shall be notified and sent to all its members and the respective colleges/U.T.D. under the signature of Adviser cum Treasurer. All elections shall be held by secret ballot.
- (c) The members of the council shall cast their votes, for the election to the posts of office bearers, on specified date and time, as announced by the Adviser cum Treasurer, at their respective colleges only, to be held under the supervision of Patron/ Professor in charge of that College.
- (d) Vacancies, in the electoral roll arising out of resignation, removal etc. shall not be filled up, in any manner, once it is declared.

Provided that once the date for the election of the office-bearers of the university Students' Union is notified by the Adviser cum Treasurer, the election will be held notwithstanding the fact that a college or the university Teaching Department have not held the election to the college/U.T.D. students union before the day specified under clause (a) above. Nomination papers shall be filed before the Adviser cum Treasurer as per announced schedule.

- (e) All nominations shall be made in the prescribed form, available with the Adviser-cum-Treasurer and a nomination paper shall be rejected if:
 - (i) The nomination paper was received after the time prescribed or announced by the Adviser-cum-Treasurer;
 - (ii) the nomination is not on the prescribed form;
 - (iii) the nomination paper submitted is, in any way, incomplete;
 - (iv) the candidate is disqualified to seek election under the provision of the ordinance;
- (f) A ballot paper for the election of an office bearer shall be rejected if:-
 - (i) it bears any mark or writing by which the elector can be identified, or
 - (ii) it bears no mark to indicate the vote or bears a mark other than the mark of the prescribed seal placed for the purpose, or
 - (iii) a mark of the seal, indicating the vote, is placed in such a manner as to make it doubtful or uncertain as to which candidate the vote has been given, or
 - (iv) the elector has given more votes than the numbers of seats to be filled, or

(v) the ballot paper is signed by the elector.

Provided that where there is uncertainty in respect of any vote/votes but not in respect of all the votes given by the elector, the ballot paper shall be void to the extent of uncertainly only.

- (g) The voting shall be done by secret ballot and the candidates securing highest number of votes shall be declared as elected.
- (h) In case of two or more candidates securing equal number of highest votes, for a particular post, the winner shall be decided by draw of lots, by the Adviser cum treasurer.
- (i) Every student shall have to abide by the following code of conduct, during the course of election:
 - (a) No candidate shall indulge in, nor shall abet, any activity, which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic, or between any group(s) of students
 - (b) Criticism of other candidates, when made, shall be confined to their policies and programs, past record and work. Candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected with the public activities of the other candidates or supporters of such other candidates.
 - (c) Criticism of other candidates, or their supporters based on unverified allegations or distortion shall be avoided.
 - (d) There shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes. Places of worship, within or without the campus shall not be used for election propaganda.
 - (e) All candidates shall be prohibited from indulging or abetting, all activities which are considered to be "corrupt practices" and offences, such as bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters, canvassing or the use of propaganda within 100 metres of polling stations, holding public meetings during the period of 24 hours ending with the hour fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling station.
 - (f) No candidate shall be permitted to make use of printed posters, printed pamphlets, or any other printed material for the purpose of canvassing. Candidates may only utilize hand-made posters for the purpose of canvassing, provided that such hand-made posters are procured within the expenditure limit set out herein above.

- (g) Candidates may only utilize hand-made posters at certain places in the campus, which shall be notified in advance in writing by the university/college authority.
- (h) No candidate shall be permitted to carry out processions, or public meetings, or in any way canvass or distribute propaganda outside the university/college campus.
- (i) No candidate shall, nor shall his/her supporters, deface or cause any destruction to any property of the university / college campus, for any purpose whatsoever, without the prior written permission of the college / university authorities. All candidates shall be held jointly and severally liable for any destruction / defacing of any university / college property.
- (j) During the election period the candidates may hold processions and / or public meetings, provided that such processions and / or public meetings do not, in any manner, disturb the classes and other academic and co curricular activities of the college / university. Further, such procession / public meeting may not be held without the prior written permission of the college / University authority
- (k) The use of loudspeakers, vehicles and animals for the purpose of canvassing shall be prohibited.
- (l) On the day of polling, student organizations and candidates shall -:
 - (i) co-operate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and complete freedom to the voters to exercise their franchise without being subjected to any annoyance or obstruction;
 - (ii) not serve or distribute any eatables, or other solid and liquid consumables, except water on polling day;
- (j) Where a candidate fails to observe the code of conduct or instigates or supports breach of the code of conduct as given above, the Professor-in-Charge may declare his/her election invalid and may also recommend for disciplinary action.
- 8. (i) The Council shall start functioning from the date of its constitution, as notified by the Adviser cum treasurer, in accordance with 7(b) above. The terms of office of the members of the Executive Committee of the university Student's union shall commence from the date of its notification and continue till the end of April of the academic session.

The Council, too, shall continue till the end of April of the academic session.

- (ii) The Council shall meet at least twice in the academic session on dates to be fixed by the President in consultation with the Adviser-cum-Treasure. The president shall, upon a requisition in writing signed by not less than one third of the total number of members of the Council, convene a special meeting of the Council within 20 days of the receipt of such a requisition. Members shall be given at-least 15 days notice of every meeting and the agenda shall be sent to the members with the notice of the meeting.
- (iii) One third of the members of the Council shall constitute a quorum,
- 9. The Council shall have the following powers and perform the following duties, namely:
 - (i) to lay down the broad programme of work to be undertaken by the Union.
 - (ii) to approve, with or without modifications, the annual report and the budget estimates of the Union submitted by the Executive Committee.
 - (iii) to approve the matters to be placed before the University authorities by the Union.
 - (iv) to prepare a guideline necessary to regulate the activities of the Union.
 - (v) to exercise all other power conferred on it by the ordinances.
- 10. (i) The Executive Committee and the office bearers shall remain in office during the period the Council which elected them functions unless the Committee or the office bearer is removed by an order of the Patron after a no-confidence motion against the Executive Committee or the office bearer is passed by the Council.
 - (ii) The Executive Committee shall meet at-least once in two months on a date to be fixed by the President in consultation with the Adviser-Cum-Treasurer. A special meeting of the Executive Committee, if requisitioned in writing, shall be called by the president with-in fifteen days of the receipt of such requisition.
 - (iii) Members shall be given at least ten days notice of an ordinary meeting or a special meeting & four days notice of an emergent meeting. The proposal for holding an emergent meeting shall be accepted if at least two third of the members of the Executive Committee gives in writing, to this effect. Agenda of an ordinary meeting or a special meeting shall be sent to the members with the notice of the meeting. No other topic

- other than mentioned in the agenda shall be discussed in the special / emergent meeting.
- (iv) One third of the members of the Executive Committee shall constitute a quorum.

11. The Executive Committee Shall:

- (a) draw-up detailed schemes to be implemented and take steps to implement them:
- (b) prepare the budget and submit it to the Council for approval;
- (c) study students problems and bring them before the Council with its suggestions;
- (d) allot duties to its members and may constitute sub-committee for specific purpose consisting of its own members or members of the Council/College Union or any combination of members of the Executive Committee, the Council and the College/U.T.D. Unions as it deems necessary and appoint a programme Secretary for any specific purpose;
- (e) prepare the annual report of the Union and submit it to the Council for approval;
- (f) have such other powers and duties as may be assigned to it by the council.

Note:- The activities of the Council/Executive Committee/Sub-Committee, as the case may be, shall be uploaded by the Adviser-Cum-Treasurer in the web site specifically launched for this purpose.

12. The **Patron** shall have the following powers, namely -

- (a) to be present at any meeting of the Council or the Executive Committee and to address the members there of,
- (b) to decide all disputes arising out of elections of the office-bearers and others members of the Executive Committee referred to him within five days following the day of the declaration of the result of election. His decision in the matter shall be final.
- (c) to administer the oath of office to the members of the Executive Committee.
- (d) to annul any resolution or proceedings of the Council or the Executive Committee if he deems such resolution or proceeding to be beyond the legitimate function or power of the union or are detrimental to the interests of the University;
- (e) to give direction to the Council or the Executive Committee in the interest of proper functioning of the Council/ Executive Committee, as

- the case may be, and the Council/ Executive Committee shall act in accordance with such direction:
- (f) to suspend the Council or the Executive Committee in the event of violation of the provisions of this ordinance by the Council or the Committee;
- (g) such other powers as are vested in the patron under this Ordinance. The

13. Adviser-cum-Treasurer shall:-

- (a) Shall notify the constitution of the University Students' Council.
- (b) Conduct the elections to the Executive Committee:
- (c) have the power to be present at any meeting of the council or the Executive Committee and to advise the Council and the Executive Committee in regard to their activates;
- (d) be in-charge of the funds of the union and ensure that no part thereof is spent without proper authority or for purpose other than those for which they are allocated.
- (e) bring to the notice of the patron any resolution or proceedings or any or any act of any of the bodies or office bearers of the Union which is violative of the provisions of this Ordinance or likely to be prejudicial to the interest of the University;
- 14. (i) The **President** of the Union shall preside at meeting of the Council and the Executive Committee;
 - (ii) The Presidents shall have the following powers and perform the following duties, namely -
 - (a) subject to control of the Executive Committee to be in charge of the general management of the affairs of the Union:
 - (b) to ensure discipline at meeting of the Council and the Executive Committee or at may meeting or gathering organised by the Union.
 - (c) to ensure that the provisions of this ordinance are faithfully observed.
 - (d) to discharge any other function entrusted to him or any duty imposed on him by the Council or the Executive Committee.
- 15. The **Vice President** shall carry out the work assigned to him by the President and in the absence of the President, shall perform his functions.
- 16. The **Secretary** shall perform the following functions, namely -

- (i) to issue notice of every meeting of the Council and the Executive Committee subject to the instructions of the President;
- (ii) to prepare and maintain the minutes of the meeting of the Council and the Executive Committee;
- (iii) to maintain the accounts of the Union, conduct the correspondence of the Union and keep all records thereof;
- (iv) to ensure that the discipline of the Council and the Executive Committee are properly carried out;
- (v) to perform all other functions entrusted to him by the Council or the Executive Committee;
- 17. The **Joint Secretary** shall assist the Secretary in the discharge of his duties and shall have such powers as may be assigned to him by the President with the approval of the Adviser-cum-Treasurer.
- 18. (i) The university Students' Union fee collected from the College Unions through the colleges/U.T.D./S.O.S. together with the donations from any source, if any, shall constitute the fund of the University Students' Union;
 - (ii) Whenever any expenditure is authorised by the Executive Committee, the Adviser-cum-Treasurer shall obtain the required funds from the Registrar and make it available to the person authorised by the Committee to receive the same;
 - (iii) Whenever any amount is paid to any office-bearer or members of the Union by the Adviser-cum-Treasurer, accounts shall be rendered to Secretary who shall maintain the account of the Union and submit at the end of each month the accounts with complete vouchers (duly countersigned by the Secretary) to the Adviser-cum-Treasurer.
 - (iv) The Accounts of the Unions shall be audited every year by such agency as the Patron may appoint;
- 19. (i) The Council may pass a motion expressing no-confidence in the President or any other office bearer or the entire Executive Committee if it is moved by not less than one-third of its total members and supported by a majority of at least two-thirds of the members present and voting at the meeting and constituting not less than half of the total membership of the Council. Such motion can be moved only on the ground that the office bearer or Committee has disregarded the provisions of this Ordinance or failed to perform his/its duties and a meeting of the Council shall be convened to consider the non-confidence motion after the Adviser-cum-Treasurer decides that the motion is sought to be moved on admissible ground/grounds. The

- meeting at which such a motion is considered shall be presided over by the Adviser-cum-Treasurer.
- (ii) The member of the Executive Committee or an office bearer shall not be removed except by the order of the Patron passed after the resolution passed by the Council in accordance with the provisions of this para, has been submitted to him.
- 20. A Student who is also a member of the University Council, shall cease to hold office in the University Students' Union from the date of his expulsion or rustication by the Principal of his college or the Kulapati, as the case may be.
- 21. (i) An office bearer of the University Students' Union or a member of the Executive Committee may resign by a letter addressed to the Adviser-cum-Treasurer and the resignation shall take effect as soon as a decision, to this effect, is taken by the Adviser-cum-Treasurer.
 - (ii) Where any membership of the Executive Committee or an office of the University Students' Union falls vacant, the same shall continue to remain vacant, for the entire session. The Adviser-cum-Treasurer shall, in such cases, have the power to re-allocate the work earlier entrusted to the person whose office has fallen vacant, in accordance with the provisions of para 15, 16 and 17 above or in any manner deemed suitable for the purpose, in consultation with the patron, for smooth functioning of the Union.
- 22 (i) Members of the Council/Executive Committee/ Sub-committees, if any, of the University Students' Union attending any meeting called by the Adviser-cum-treasurer/Patron/President of the Union, shall be paid T.A. and D.A. from the funds of the University Students' Union. The rates of T.A. and D.A. shall be fixed by a Regulation in this regard. Until such Regulation is made, the rates approved by the University for the participants of Inter University Tournaments shall be applicable to the members of the above bodies.

for EC

Equipmemt >500000.00

S. No.	Ref File No.	Name of Equipment	Firm	Price
1	1b	RT-PCR	M/s Invitrogen Bioservices Pvt. Ltd. Kolkata	1276500.00
2	2	Electrophoresis System & Gel Documentation	M/S BIO RAD, MUMBAI	703800.00
3	4	Super Critical Fluid Extraction Unit	M/S Waters India Pvt. Ltd., Secundrabad	4100118.00
4	5	LC-MS-MS System	M/S ThermoFisher Scientific.	11799000.00
5	6	FTIR	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	1369650.00
6	7	HPLC	M/S SPINCO BIOTECH PVT. LTD.	2680700.00
7	8	NMR Spectrophotometer 400 MHz	M/S BRUKER INDIA SCIENTIFIC PVT. LTD. BANGLORE	24018750.00
8	10	AAS	M/S LAB INDIA ANALYITICAL INSTRUMENTS PVT. LTD.	2676465.00
9	13	Refrigerated High Speed entrifuge and Rotors	M/S KASLIWAL BROTHERS, RAIPUR	1237260.00
10	15	UV Spectrophotometer	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	572700.00

Mon hun Patr 11/6/14 Equipment < 500000.00

S. No.	Ref File No.	Name of Equipment	Firm	Price
1	1a	PCR	M/s BIO RAD, KOLKATA	322368.00
2	11a	Deep freezer [-86°C]	M/S ESCO BIOTECH PVT. LTD., MUMBAI	498663.00
3	11b	Deep freezer [-20°C] 159 lit.	M/S VARAD CORPORATION RAIPUR	198466.00
4	11c	Deep freezer [-20°C] 346 lit.	M/s SAKSHAM TECHNOLOGIES PVT. LTD.	258889.00
5	12	Lyophilizer	M/s THE PIONEERS, NAGPUR	490000.00
6	14	Laminar Air Flow	M/S ESCO BIOTECH PVT. LTD., MUMBAI	326094.00
7	16	Water Purification system	M/S METROHM INDIA LTD., NAVI MUMBAI	399375.00
8	17	Moisture Analyzer	M/S SURANA INTERPRISES, RAIPUR	136800.00
9	18	Solvent Extraction system	M/S PELICAN EQUIPMENT, CHENNAI	322204.00
10	19	Analytical Balance	M/S SURANA INTERPRISES, RAIPUR	172824.00

Main kin late

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- विश्वविद्यालय के भवनों की साफ-सफाई की व्यवस्था आउटसोसिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रशासनिक भवन, कला भवन, ग्रंथालय भवन, विज्ञान भवन, प्रबंधन संस्थान, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, फार्मेसी भवन, गेस्ट हाऊस, गाँधी/आजाद छात्रावास एवं बायोसाइंस विभाग की साफ—सफाई हेतु निविदा सूचना क0 143/विकास/2014, दिनांक 24.02.14 एवं संशोधित निविदा सूचना क0 199/विकास/2014, दिनांक— 03.04.2014 विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी। निर्धारित समय में निम्नलिखित फर्मों से निविदा सीलबंद लिफाफों में प्राप्त हुई :——

01. में ज्वाला सिक्युरिटी फोर्स, स्वास्तिक स्कुल, नवा नक्सा, ब्रिज नं. 10, कामठी रोड, नागपुर

02 में महेन्द्रा इंटरप्राइजेस, C/O जुनैद मो. , 33/ए, रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, कटोल रोड, गिट्टी खदान, नागपुर।

03. न्यू भारत सिक्युरिटी एवं डिटेक्टिव सर्विसेस, रजत संकुल, मेन बस स्टैण्ड के सामने, गणेशपेठ, नागपुर

निविदा के निराकरण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 24.05.2014 को आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त निविदाओं को सीलबंद लिफाफों को खोलकर परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त मे० ज्वाला सिक्युरिटी फोर्स, स्वास्तिक स्कुल, नवा नक्सा, ब्रिज नं. 10, कामठी रोड, नागपुर द्वारा अधूरी अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण इनके द्वारा प्रस्तुत दर सूची को नहीं खोला गया। चूँिक निविदा सूचना द्वितीय बार प्रकाशित करने के कारण 02 फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर सूची को खोला गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है —

Ф.	साफ-सफाई कर्मी प्रतिमाह दर	महेन्द्रा इंटरप्राइजेस, कटोल रोड, गिट्टी खदान, नागपुर	न्यू भारत सिक्यूरिटी & डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर
01	1. बेसिक वेतन रू.	₹5. 6,300.00	₹7. 6,300.00
	2. ईपीएफ रू	₹5. 857.43	₹5. 857.43
ļ	3. ईएसआई रू.	रू. 299.25	₹⊽. 299.25
	4. अन्य		
	 सुरक्षा एजेंसी सेवा शुल्क रू. 	₹5. 382.56	₹5. 315.00
	6. शासकीय सेवा शुल्क	'ক. 194.67	₹5. 194.67
	योग प्रति कर्मचारी (दर प्रतिमाह) —	₹5. 8,033.91	₹5. 7,966.35
02	प्रतिमाह लगने वाली सामग्री का दर	ক . 12,500.00	रू. 12,200.00

उपरोक्त तुलनात्मक तालिका के अनुसार मे० न्यू भारत सिक्युरिटी & डिटेक्टिव सर्विसेस, रजत संकुल, मेन बस स्टैण्ड के सामने, गणेशपेट, नागपुर द्वारा प्रस्तुत दर अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर से कम होने के कारण गठित समिति द्वारा न्यूनतम् दर के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ—सफाई कार्य दिनांक— 01 सितंबर 2014 से 31 अगस्त 2015 तक एक वर्ष के लिए न्यू भारत सिक्युरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर से कराये जाने हेतु अनुशंसा की है।

अतः विश्वविद्यालयं परिसरं व भवनों के साफ-सफाई कार्य दिनांक- 01 सितंबर 2014 से 31 अगस्त 2015 तक एक वर्ष के लिए न्यू भारत सिक्युरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर से कराए जाने के लिए स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ।

विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्राप्त निविदाओं के निराकरण हेतु विभागीय क्रय समिति की बैठक दिनांक— 27.05.2014 को अपरान्ह 3:00 बजे डीसीडीसी कक्ष में आयोजित की गई।

उक्त बैठक में निम्नलिखित फर्मों से प्राप्त सील बंद लिफाफों को निविदाकर्ता/ उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला गया जिसका विवरण निम्नानुसार है--

- 01. न्यू भारत सिक्युरिटी & डिटेक्टिव सर्विस, नागपुर।
- 02. की लाक सिक्युरिटी सर्विस, पंडरी, रायपुर।
- 03. प्रवीण इंटेलीजेंस सिक्युरिटी, मंदिर हसौद, रायपुर।
- 04. सीडीओ सिक्युरिटी एण्ड पब्लिक हेल्पलाईन सर्विस, भिलाई।

उपरोक्त फर्मों से प्राप्त निविदाओं का परीक्षण करने पर कंडिका 03 में दर्शित फर्म प्रवीण इंटेलीजेंस सिक्युरिटी, मंदिर हसौद, रायपुर के द्वारा अधूरी अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत दर अनुसूची को नहीं खोला गया।

योग्य पाए गए फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर अनुसूची को खोला गया जिसका विवरण निम्नानुसार है-

				•
क.	सुरक्षा कर्मियों का पदनाम	न्यू भारत सिक्युरिटी	की लॉक	सीडीओ सिक्युरिटी &
		& डिटेक्टिव सर्विस,	सिक्युरिटी सर्विस,	पब्लिक हेल्पलाईन
		नागपुर	पंडरी, रायपुर	सर्विस, भिलाई
01	सुरक्षा गार्ड (प्रति शिफ्ट)	₹5, 5,741.00	₹5. 6,795.04	₹5. 6,731.00
02	गनमेन (प्रति शिफ्ट)	रू. 5,741.00	₹5. 7,718.24	₹5. 7,036.00
03	टैक्स / सेवा शुल्क	₹5. 177.39	ক. 1,744.00	12.36%
04	सुरक्षा एजेंसी का सेवा शुल्क	निरंक	₹5. 282.00	₹5. 3.00

उपरोक्त तुलनात्मक तालिका के अनुसार कंडिका 01 में दर्शित फर्म मे० न्यू भारत सिक्युरिटी & डिटेक्टिव सर्विस, नागपुर द्वारा प्रस्तुत दर अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर से कम है।

अतः न्यूनतम् दर के आधार पर विश्वविद्यालय परिसरं व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था कार्य दिनांक— 01 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तक एक वर्ष के लिए मे॰ न्यू भारत सिक्युरिटी & डिटेक्टिव सर्विस, नागपुर से कराए जाने के लिए कार्यपरिषद की स्वीकृति हेत् विचारार्थ प्रस्तृत है।

For EC

Equipmemt >500000.00

S. No.	Ref File No.	Name of Equipment	Firm	Price
1	1b	RT-PCR	M/s Invitrogen Bioservices Pvt. Ltd. Kolkata	1276500.00
2	2	Electrophoresis System & Gel Documentation	M/S BIO RAD, MUMBAI	703800.00
3	4	Super Critical Fluid Extraction Unit	M/S Waters India Pvt. Ltd., Secundrabad	4100118.00
4	5	LC-MS-MS System	M/S ThermoFisher Scientific.	11799000.00
5	6	FTIR	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	1369650.00
6	7	HPLC	M/S SPINCO BIOTECH PVT. LTD.	2680700.00
7	8	NMR Spectrophotometer 400 MHz	M/S BRUKER INDIA SCIENTIFIC PVT. LTD. BANGLORE	24018750.00
8	10	AAS	M/S LAB INDIA ANALYITICAL INSTRUMENTS PVT. LTD.	2676465.00
9	13	Refrigerated High Speed entrifuge and Rotors	M/S KASLIWAL BROTHERS, RAIPUR	1237260.00
10	15	UV Spectrophotometer	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	572700.00

Alum hum Pata 11/6/14

the state of the s		Equip	Equipmemt >500000,00				
S. No. Ref	lef Name of	Justification	Firm	l sorg	Jo CN	Model	•
File No.					Quotes.	50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Status
1 15	RT-PCR	Reverse transcription polymerase	M/s Invitrogen	1978500 00	Keceived		
		chain reaction (RT-PCR) is one of	Bioservices Pvt. Ltd.		5	Stepolie plus bo well RT-PCR System	Authorized
		many variants of polymerase chain	Kolkata			4376598	ב מפוני ב
		reaction (PCR). This technique is					
		commonly used in molecular biology					
		to detect RNA expression levels. RT-	· · ·				
		PCR is used to qualitatively defect					
		dene expression through creation of				-	
		complementary DNA (cDNA)					
		transportate from DNA DA TOD					
		deliberation Fig. Ki-TCK is					
		used to crone expressed genes by					
		reverse transcribing the RNA of					
		Interest into its DNA complement					
		through the use of reverse					
		transcriptase. Subsequently, the					
		newly synthesized cDNA is amplified					100
		using traditional PCR.					
2 2	Electrophoresis	A Gel doc also known as a gel	040 010				
	System & Gel	documentation exetem solumnos	MIN DIO TAD	100 DOS:20			Manufacturer
	Documentation	everom or an impage in				Molecular Imager	
		Widek need in wolvering	98. 6				
		hiology laboratoring for the					
		and documentation of	<u>1974. g</u>				
		and protein automated					
		and protein suspended					
		Within polyacrylamide or agarose gels.					
		I nese gels are typically stained	<u> </u>				
					V. 10		
- <u>-</u> .		Groon Concessuch as SYBR					
		Specification of the control of the	kini.				
		ari uliravioret (UV) light					
		luarishidhinator a nood to shield					
		external light sources and protect the					
		user from UV exposure, and a	<u> </u>				
			2				

Manufacturer	Mänufacturer	Manufacturer	Manufacturer	Manufacturer
SFE-100-2-C10	LCQ Fleet- Ultra High Sensitive 3D Ion Trap Quadrupole with Stretched Geometry	<u>&</u>	Shimadzu Nexera XR Quaternary HPLC system	Bruker Avance – III, 400 MHz FT-NMR Spectrometer
4100118.00 2	11799000.00	1369650.00	2680700.00] 3	24018750.00
M/S Waters India Pvt. Ltd., Secundrabad	M/S ThermoFisher Scientific.	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	M/S SPINCO BIOTECH PVT, LTD.	M/S BRUKER INDIA SCIENTIFIC PVT. LTD. BANGLORE
Supercritical Fluid Extraction (SFE) is M/S Waters India the process of separating one component (the extractant) from another (the matrix) using supercritical fluids as the extracting solvent. Extraction is usually from a solid matrix, but can also be from liquids. SFE can be used as a sample preparation step for analytical purposes, or on a larger scale to either strip unwanted material from a product.	LC-MS/MS is most commonly used for proteomic analysis of complex samples where peptide masses may overlap even with a high-resolution	Analysis of organic and inorganic chemicals, polymers, biological samples, etc. FTIR will be used for identifying types of chemical bonds (functional groups).	r fractionation and extract.	NMR spectroscopy will be used to M/S BRUKER IND elucidate physical, chemical, SCIENTIFIC PVT. structural, and electronic properties of LTD. BANGLORE the samples extracted from MPs.
Super Critical Fluid Extraction Unit	LC-MS-MS System	FTIR	O)	NMR Spectrophotometer 400 MHz
4	ಬ	Ф	7	æ
<u>г</u>	4	22	9	

Authorized dealer	A),thorized dealer	Manufacturer
AA8000FG	Dynamica Model Velocity 30 R	Evolution 201
2676465.00	2237260.000 2237260.0000 2237260.0000 2237260.0000 2237260	572700.000 S
M/S LAB INDIA ANALYITICAL INSTRUMENTS al PVT. LTD.	M/S KASLIWAL BROTHERS, RAIPUR	n M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI
Atomic absorption spectrometry (AAS) is a spectro-analytical procedure for the qualitative and quantitative determination of chemical elements employing the absorption of optical radiation (light) by free atoms in the gaseous state. In analytical chemistry the technique is used for determining the concentration of a particular element (the analyte) in a sample to be analyzed. AAS can be used to determine over 70 different elements in solution or directly in solid samples.	Refrigerated Centrifuges are useful for centrifugation of temperature sensitive material and find applications in routine and research work in auxiliary laboratories in industry, Educational & Research institutions, Bio Technology, Medical Laboratories, Hospitals, Blood Banks, Pharmaceutical laboratories etc.	UV Spectrophotometer All types of biochemical estimations in M/S THERMO UV and visible range will be done FISHER using spectrophotometer. It will be SCIENTIFIC, used for analytical study of MUMBAI phytochemicals present in the plant extracts.
AAS	Refrigerated High Speed entrifuge and Rotors V	UV Spectrophotometer 7 L U U U
10	9 13	10

विषय :- Consultant एवं NCNR Project Staff के लिये मानदेय एवं विशेष भत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

----000----

NCNR प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ के विभिन्न वनांचलों में औषधीयुक्त पौधो की सर्वेक्षण कर उसे वर्गीकृत किया जाना है जिसके लिये Taxinomists Medical Expert Consultant की आवश्यकता है। NCNR बजट में यह व्यय NCNR प्रोजेक्ट मद से किया जावेगा।

1. Consultant को निम्नानुसार मानदेय प्रदान करना प्रस्तावित है।

S.No.	Status of consultant	Amount as consultancy fee (INR)	Maximum Limit (INR) month ⁻¹	Source of Payment
1.	Rank of Professor or above	1000.00 day ⁻¹	25000.00	NCNR has allocation for
2.	Rank of Associate Professor or equivalent	750.00 day ⁻¹	17500.00	consultancy under the head,
3.	Rank of Assistant Professor or equivalent	Rs. 500.00 per day	10000.00	"Manpower Budget"

2. इसके अतिरिक्त वनांचलो में सर्वेक्षण कार्य करने वाले कंसल्टेंट एवं प्रोजेक्ट स्टॉफ को फील्ड एलाउन्स 200 / — रू. (TA/DA को छोड़कर) दिया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय: वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण करना।

वार्षिक परीक्षा 2014 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु 08 नोडल केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई गठित किये गये हैं :--

- 1. शासकीय बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी।
- 2. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर।
- 3. शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर।
- 4. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर।
- 5. शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव।
- 6. शासकीय काकतीया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
- 7. शासकीय विलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर।
- 8. केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई, गोपनीय विभाग, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।

प्रत्येक नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को, मूल्यांकनकर्ताओं को नगद पारिश्रमिक भुगतान किये जाने हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रूपये 10,00,000/— (रूपये दस लाख मात्र) अग्रिम प्रदान किया है। इस प्रकार कुल 08 नोडल केन्द्रों को कुल रूपये 80,00,000/— (रूपये अस्सी लाख मात्र) अग्रिम प्रदान किया गया है।

कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



वं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालया, रारापुर (छ.ग.)



विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक सोमवार, दिनांक 23 जून, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे की द्वितीय पूरक विषयसूची

विषय क्र. 1. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2014 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

विषय क्र. 2. श्री रूपेश कुमार शर्मा, अनिवार्य सेवानिवृत्त, उपयंत्री के द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 03.02.2014 के प्रकरण के संबंध में विचार करना। टीप: कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

विषय क्र. 3. परीक्षा एवं अन्य आवेदन—पत्रों के ऑन—लाईन (Payment gateway) भुगतान के संबंध में विचार करना।

टीप: कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

विषय क्र. 4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान के प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करना।

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

विषय क्र. 5. वित्त विभाग की इम्प्रेस्ट राशि रू. 10,000/— से वृद्धि कर रू. 30,000/— स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।

टीप: कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

विषय क्र. 6. पी-एच.डी. शोघार्थियों की सूची कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
टीप: कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

कुलसचिव

[•] स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

यांत्रिकी विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



. ''स्वर्ण जयन्ती वर्ष''

Phone No. 0771-2262587 Website: prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक 175 /वि.वि.यंत्री / 2014

रायपुर, दिनांक 23/06/2014

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक शुक्रवार दिनांक 20.06.2014 को अपरान्ह 3:00 बजे कुलपित कक्ष में आयोजित हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :--

	ू कर के क्या के कार्य	– अध्यक्ष
	डॉ. एस. के. पाण्डेय, कुलपति	
2.	श्री बी0 के0 शर्मा (प्रोफेसर) योजना बोर्ड सदस्य	— सदस्य
3.	श्री बी0 सी0 विश्वास (वित्त नियंत्रक)	– सदस्य
4.	श्री केशव प्रसाद तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री	– सदस्य
	(सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि.)	
5.	श्री अरविंद डे, उपयंत्री, लो.नि.वि.	– विशेष आमंत्रित
6.	श्री विशाल शर्मा उपयंत्री, लो.नि.वि.	– विशेष आमंत्रित
7.	श्री उमापति रस्तोगी, प्रभारी यांत्रिकी	– विशेष आमंत्रित
8.	श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव	– सचिव

विषय क्रमांक-1 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.05.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना ।

निर्णयः भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.05.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई ।

विषय क्रमांक—2 दिनांक 07.05.2014 को आयोजित भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गई कार्यवाही ।

निर्णयः दिनांक 07.05.2014 को आयोजित भवन निर्माण समिति की बैठक के निर्णय पर कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई ।

विषय क्रमांक—3 लोक निर्माण विभाग को डिपाजिट वर्क के अंतर्गत प्रदान की गई राशि से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा । निर्णय:

लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा डिपाजिट वर्क के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई राशि के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई ।

विषय क्रमांक—4 विश्वविद्यालय में में 0 पूजा कन्ट्रवशन दुर्ग से किये गए अनुबंध यूई/2006 दिनांक 10/12/2007 के तहत् स्पोर्टस आफिस, टायलेट रेनोवेशन, कन्ट्रवशन ऑफ गेट, आर्ट बिल्डिंग छज्जा निर्माण, एक्टेशन ऑफ गेस्ट हाऊस, बॉयो साईस में वाटर पुफिंग, एवं कन्ट्रवशन आफ रोड़ के कार्य कराये जाने थे । अपरिहार्य कारणों से कार्यों को पूर्ण नहीं कराया जा सका । उनके द्वारा किये—गये अधुरे कार्यों के मूल्यांकन कर भुगतान हेतु उनके द्वारा कई बार आवेदन प्रस्तुत किये गए तथा व्यक्तिगत रूप से कुलपित एवं कुलसचिव से उनके लिम्बत भुगतान हेतु निवेदन किया गया । तद्अनुसार विश्वविद्यालय यंत्री द्वारा फर्म द्वारा किये गए कार्यों की माप कर माप पुस्तिका एवं बिल बुक में पंजीयन कर उनकों पूर्व में किए गए भुगतान की राशि को घटाकर कुल देयक राशि रूठ 8,73,245/— (रूपये आठ लाख तिरहत्तर हजार दो सौ पैतालिस मात्र) भुगतान ठेकेदार फर्म के पक्ष में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया हैं । संबंधित फर्म को भुगतान करने के पूर्व विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मे० पूजा कन्द्रक्शन दुर्ग को देयक राशि रू० 8,73,245/— (रूपये आठ लाख तिरहत्तर हजार दो सौ पैतालिस मात्र) मुगतान करने की अनुशंसा की जाती हैं। बशर्ते संबंधित फर्म इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि भविष्य में प्रकरण पर कोई विवाद अथवा शिकायत होने पर जाँच के उपरान्त अथवा पोस्ट आडिट के पश्चात यदि उनके लिए वसूली योग्य कोई राशि चिन्हित की जाती हैं तो वे उसे विश्वविद्यालय कोष में जमा करने हेतु वचन —बद्ध रहेगें।

विषय क्रमांक = 5 विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में Acoustics की समस्या के सम्बंध में अतिथियों द्वारा सुधार हेतु कई बार जिक्र किया गया हैं। मंच पर बैठने वाले अतिथियों एवं हॉल में बैठें श्रीताओं को भी उद्बोधन / भाषण स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं। इस समस्या के निदान हेतु कई बार विशेषज्ञों से सम्पर्क किया गया तथा उनकों प्रेक्षागृह का निरीक्षण कराया गया किन्तु समस्या का निदान अभी तक नहीं हो सका हैं। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग संभाग क्र0 3 रायपुर ने ज्ञाप क्र.2785 दिनांक 16.06.14 द्वारा प्राक्कलन

प्रस्तुत किया गया हैं । जिसके अर्न्तगत Acoustics, Air Conditioning, Sound System एवं कुर्सियों के कार्य का प्राक्कलन राशि रू० 2.29 करोड़ उल्लेखित किया हैं । प्रशासनिक अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में केवल Acoustics, Air Conditioning एवं Sound System के कार्य को कराया जावें । प्रेक्षागृह में प्रमुख समस्या Acoustics का हैं । अतः Acoustics ठीक करने का तरीका वैज्ञानिक पद्धित से परीक्षण एवं विश्लेषण कराकर उनके द्वारा सुझाए गए उपाय के अनुसार किया जावें । यह कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराये जाने हेतु अनुशंसा की जाती हैं । वैज्ञानिक पद्धित से विश्लेषण के पश्चात विस्तृत प्राक्कलन प्नः प्रस्तृत किया जावें ।

विषय क्रमांक—06. लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया हैं कि विश्वविद्यालय में महिला छात्रावास निर्माण स्थल में काली मिट्टी में कॉलम खोदाई करने पर प्राक्कलन में दी गई गहराई दो मीटर से अधिक गहराई पर मुरम की सतह प्राप्त हुई हैं । अतः पूर्व में प्रस्तुत किये गए प्राक्कलन में राशि वृद्धि होने के सबंध में सहमति प्रदान करने हेतु लिखा हैं । प्रकरण अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

निर्णय: प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से :-

अन्य निर्णय : लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपाजिट वर्क के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण याँत्रिकी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से की जावें ।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न की गई ।

कुलसचिव

मुलपति

प्रतिलिपि —

प्. क्रमांक १७५ / वि.वि.यंत्री / 2014

रायपुर, दिनांक 23/06/2014

1. भवन निर्माण समिति के समस्त सदस्यों की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित कि कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है, तो कृपया सूचित करें ।

2. कुलपित के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ । -

3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (अनुदान प्रकोष्ठ)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. वित्त नियंत्रक, पंरविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवृश्यक कार्यवाही हेतु ।

> प्रभारी अधिकारी यांत्रिकी विभाग



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



विषय:- श्री रूपेश कुमार शर्मा, अनिवार्य सेवानिवृत्त उपयंत्री के द्वारा कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 03.02.2014 के प्रकरण के संबंध में।

माननीय कार्यपरिषद की बैटक दिनांक 09.05.2014 में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री रूपेश कुमार शर्मा, अनिवार्य सेवानिवृत्त उपयंत्री के प्रकरण में प्रस्तुत अपील प्रकरण के परीक्षण/समीक्षा हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 2260/सा.प्रशा./2014 दिनांक 02.06.2014 को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें श्री लिलत सुरजन, माननीय कार्यपरिषद सदस्य, डॉ. एम.आई.मेमन, माननीय कार्यपरिषद सदस्य एवं श्री एस.आई. शाह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल किया गया था। समिति के द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है:-

समिति ने उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर, अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि- इस प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा की गई कार्यवाही विधि सम्मत् है।

समिति के सदस्यों द्वारा एकमत से यह राय व्यक्त की गई कि- संबंधित अपीलार्थी श्री रूपेश कुमार शर्मा को भी अपनी बात समिति के समक्ष रखने का अवसर दिया जावे। तद्नुसार उन्हें सूचना भेजी जावे।

दिनांक 18.06.2014 को समिति की बैठक के दौरान श्री रूपेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं उन्हें यह कहा गया कि यदि वे इस संबंध में खेद प्रकट करना चाहते हैं तो लिखित रूप से सूचित कर सकते हैं और उक्त स्थिति में उनका स्पष्टीकरण और खेद प्रदर्शन संतोषप्रद पाया गया तो उनके विरूद्ध नरम दृष्टिकोण अपनाएं जाने की अनुशंसा की जा सकती है।

श्री रूपेश कुमार शर्मा को यह भी सूचित किया गया कि- यदि वे चाहें तो आज ही ऐसा लिखित आवेदन पत्र दें सकते हैं और यदि वे चाहें तो उन्हें दो-तीन दिनों का अवसर भी दिया जा सकता है।

श्री रूपेश कुमार शर्मा ने सूचित किया कि- वे उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में उठाई गई आपित्तयों पर ही निर्णय चाहते हैं और किसी प्रकार का कोई आवेदन अथवा आश्वासन अलग से नहीं देना चाहते हैं।

- 1. सिमिति द्वारा जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच की कार्यवाही का अवलोकन किया गया।
- 2. अपीलार्थी पर आदेशों की अवहेलना व असहयोग का आरोप है।
- 3. अपीलार्थी की अपील में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया है कि- उसे बचाव का उचित अवसर नहीं दिया गया और गवाहों का प्रति परीक्षण करने का अवसर भी नहीं दिया गुया।
- 4. जबिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिए जाने के पूर्व श्री रूपेश कुमार शर्मा को जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2012 एवं 05.01.2013 को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर देते हुए पूछा गैया था कि- वे लिखित जांच चाहते हैं अथवा मौखिक जांच?

किन्तु उनके द्वारा बार-बार विभागीय जांच की कार्यवाही को तब तक स्थगित रखने हेतु दबाव बनाया जाता रहा जब तक कि उनके द्वारा कुलसचिव एवं राज्यपाल को भेजे गए पत्रों पर उन्हें जवाब नहीं दिया जाता है।

विभागीय जांच में उनके निरंतर असहयोग से परेशान होकर जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 23.01.2013 को उन्हें दिए गए अवसर को समाप्त करते हुए एक पक्षीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

वार्षिक परीक्षा 2014 से परीक्षा आवेदन फार्म तथा स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के विद्याार्थियों के परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाईन के माध्यम से भराये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिसके लिए परीक्षा शुल्क के भुगतान Payment Gateway के द्वारा किये जाने हेतु Bill Desk को 05 वर्षों के लिए अनुबंध निम्न दर पर किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

Name of Item	Service Type	Bill Desk
	Service Setup Fee	Rs. 25,000.00
Payment Gateway Charges	Transaction Processing Fee	A. 1.15% *of Customer transaction amount using Visa/Master Card Credit/Debit Card
		B. 1.75% *of Customer transaction amount using Internet Banking
		C. 3.50% *of Customer transaction amount using AMEX/Diners
Terms		1. Service tax and other Govt. Levies as applicable would be charged extra on the above.
		2. *Subject to approval from respective gateway and banks.

सत्र 20014—15 से इस प्रकार के भुगतान भारतीय स्टेट बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक ने परीक्षा शुल्क या अन्य किसी भी प्रकार के Online भुगतान हेतु अपना प्रस्ताव दिया है, जो निम्नानुसार है :—

01. SBI, प्रशासनिक कार्यालय बैरन बाजार रायपुर

SN	Mode of Collection	Proposed Charges	
01	01 SBI Internet Banking 1.75% Of transaction amount		
02	Other Banks Internet Banking	1.75% Of transaction amount	
03	State Bank Debit Card	1.15% Of transaction amount	
04	One time integration charges	Rs. 10,000/-	

2- ICICI Bank Ltd. Civil Line, Raipur.

Setup Cost Special Offer to "Pt. Ravishankar shukla university, Raipur"	Waived Of ror www.prsu.ac.in	
Per transaction charge for Domestic Credit Cards	1.30% + Taxes	
Per transaction charge Domestic Debit Card	0.75% + Taxes (for txn valur below 2000)	
To transaction charge bomeste both that	1.00% + Taxes (for txn value above 2000)	
Annual Maintenance Cost (AMC)	Waived Off	
Service Tax	As per actual	

सत्र 2014—15 से स्नातक स्तर की समस्त परीक्षाओं के आवेदन फार्मों को आनलाईन किया जा रहा है, जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या 02 लाख हो सकती है । साथ ही विभिन्न आवेदन फार्मो जैसे, डिग्री, पात्रता, माइग्रेशन, डुप्लीकेट अंकसूची हेतु आवेदन फार्म, विवरण पत्रिका, संबद्धता आदि आवेदन फार्मू को को भी आनलाईन किया जा रहा है ।आवेदन फार्म जमा करने के समय छात्रों को शुल्क भुगतान बहुविकल्प दिये जाने से अत्यधिक सुविधा होगी।

अतः छात्र हित में उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



विषय:- डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान के प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र क्रमांक 2330/1926/2014/38-2 दिनांक 16.06.2014 के द्वारा कुलपति, छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान की सेवाएं कुलाधिसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर चाही गई है। का उल्लेख कर इस संबंध में इस विश्वविद्यालय का अभिमत उपलब्ध कराने कहा गया है।

प्रतिनियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 7(b)(iii) में यह प्रावधान है कि"The Kulapati/Executive Council may depute a University Officer/Teacher/Employee to
perform specified service for Private Institution/Body or Govt. on deputation as per delegation
of powers. The terms and conditions of deputation shall be as per State Govt. rules in force from
time to time."

अतः डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान को छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में कुलाधिसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में अभिमत दिये जाने के संबंध में कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय:— इम्प्रेस्ट राशि 10,000/— से 30,000/— करने बाबत्।

टीप :- वित्त विभाग को विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि रू. 10,000/ - स्वीकृत किया गया है, जिसमें से माननीय कार्यपरिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों को यात्रा भत्ता, सिटींग फीस का नगद भुगतान किया जाना है। अतः इम्प्रेस्ट की राशि रू. 10,000/ - से बढ़ाकर 30,000/ - की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

विषय:- पी.एच-डी. शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद के अनुमोदन बाबत।

दिनांक 01.03.2013 से 16.06.2014 तक कुल 173 शोधार्थियों को पी.एच—डी. के लिए अधिसचूना जारी की जा चुकी है। अतः शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे जाने बाबत प्रस्तुत।

pg. 305		
नस्ती कमाक	पुष्ठ कमांक	शाखा का नाम — गोपनीय विभाग
•	L L	अधिकारी का नाम – विनोद कुमार एक्का
		ਗਿਊਨ ਨਾ ਜਾਸ –

विषय:- पी.एच-डी. शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद के अनुमोदन बाबत।

दिनांक 01.03.02013 से 16.06.2014 तक कुल 173 शोधार्थियों की पी.एच—डी. के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। संकायवार जानकारी निम्नानुसार है :--

कला संकाय

अंग्रेजी — 16 , हिन्दी — 21 , संस्कृत — 04 , दर्शनशास्त्र — 01, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान — 02

सामाजिक विज्ञान संकाय

भूगोल — 02 , इतिहास — 06 , प्राचीन भारतीय इतिहास — 01 , मनोविज्ञान — 08 , समाज शास्त्र — 07 , राजनीति विज्ञान — 10 , अर्थशास्त्र — 12 , रक्षा अध्ययन — 02

शिक्षा संकाय

शिक्षा - 05

शारीरिक शिक्षा संकाय

शारीरिक शिक्षा - 05

वाणिज्य संकाय

वाणिज्य - 10

प्रबंध संकाय

प्रबंध - 01

गृहविज्ञान संकाय

गृहविज्ञान – 05

विज्ञान संकाय

रसायन शास्त्र — 16 , भौतिकी — 03 , गणित — 04 , इलेक्ट्रानिक्स — 05 , भू—विज्ञान — 02

जैव विज्ञान संकाय

बायोसाइंस — 05 , बाटनी — 05, जूलॉजी — 02 , बायोटैक्नालॉजी — 06 , माइकोबायोलॉजी — 03, मानव विज्ञान — 03

अतः कुल 173 शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ रखे जाने हेतु

प्रस्तुत है।

2.2. Conts.

Y

500 July

2206/14



पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छम)



क्रमांक : 603 /अका./का.प./**2014**

रायपुर, दिनांक : 28/06/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 16.06.2014 अपरिहार्य कारणों से स्थिगित किया गया। स्थिगित बैठक सोमवार दिनांक 23 जून, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपित कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए—

J '	3.		
1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	_	अध्यक्ष
2.	प्रो. सी.एल. पटेल		सदस्य
3.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	_	सदस्य
4.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	_	सदस्य
5.	प्रो. भगवन्त सिंह	_	सदस्य
6.	प्रो. बी.के. शर्मा	_	सदस्य
7 .	प्रो. मिताश्री मित्रा	_	सदस्य
8.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला		सदस्य
9.	डॉ. एम.आई. मेमन	_	सदस्य
10.	डॉ. पी.सी. अग्रवाल	_	सदस्य
11.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	_	सदस्य
12.	प्रो. दिनेश मारोठिया	_	सदस्य
13.	श्री ललित सुरजन	_	सदस्य
14.	श्री शिवरतन शर्मा		सदस्य
15.	श्री श्रीचंद सुंदरानी	_	सदस्य
16.	श्री नवीन मार्कण्डेय	_	सदस्य
17.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	_	सचिव
	· ·		

कार्यवृत्त

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण — विधानसभा सदस्य, सर्व श्री शिवरतन शर्मा, श्री श्रीचंद सुंदरानी, श्री नवीन मार्कण्डेय एवं संकायाध्यक्ष संवर्ग से डॉ. भगवंत सिंह का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णयः विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया:—

(1) दानदाता के आवेदन के आधार पर विषय क्रमांक 04 पर निर्णय लिया गया कि एम.ए. अर्थशास्त्र में उषा पवन दुबे स्वर्ण पदक के स्थान पर एम.काम. में स्व. श्री पवन कुमार दुबे स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के लिए विनियम क्रमांक 158 का तद्नुसार संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया।

- (2) विषय क्रमांक 08 संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधन परिवर्तन संबंधी प्रकरण पर महाविद्यालय निरीक्षण समिति भेजकर निरीक्षण कराया जाए की उक्त महाविद्यालय के प्रबंध हस्तांतरण होने का कारण क्या है ? तथा इसके वर्तमान प्रबंधन समिति में कौन—कौन सदस्य है एवं संबंधित महाविद्यालय को लेने के बाद क्या योजना है एवं किस प्रकार संबंधित महाविद्यालय का संचालन सुव्यवस्थित रूप से करेंगे ?
- (3) शोध में गुणवत्ता के संबंध में दी गई अनुशंसा अन्य शोध उपाधियाँ यथा डी.एस.सी., डी.लिट्. आदि पर भी लागू होगी।
- 04. सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2013–14 हेतु कुल 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 12,50,000/-भुगतान की सूचना ग्रहण करना।
- निर्णय: सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2013-14 हेतु कुल 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 12,50,000/- भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
- 05. मुख्य परीक्षा 2014 के संचालन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 112 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 70,89,000 / — भुगतान की सूचना ग्रहण करना।
- निर्णय : मुख्य परीक्षा 2014 के संचालन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 112 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 70,89,000 / — भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
- 06. बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव (Proposal for appointment of consultant for NCNR Project) के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: डॉ. एम.एल. नायक, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को NCNR Project में एक वर्ष के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- 07. देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम—खपरी, धमधा रोड, दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन सिमति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम—खपरी, धमधा रोड, दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा अनुसार Dr. Suman Baliyan के नाम का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

- 01. संविदा नियुक्त 02 उप कुलसचिवों एवं वित्त नियंत्रक तथा लेखा अधिकारी की संविदा सेवा अविध पूर्ण होने के उपरांत संविदा सेवा अविध में वृद्धि के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: (i) प्रस्ताव के अनुसार डॉ. जे.एल. गंगवानी, उप कुलसचिव (संविदा) एवं डॉ. आर.के. अग्रवाल, उप कुलसचिव (संविदा) की सेवाएं दिनांक 16.07.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- (ii) श्री बी.सी. बिश्वास, वित्त नियंत्रक (संविदा) की सेवाएं दिनांक 01.08.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- (iii) श्री के.पी. यादव, लेखा अधिकारी (संविदा) की सेवाएं दिनांक 16.08.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

निर्णय क्रमांक (i) एवं (ii) के अनुमोदन हेतु प्रकरण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा को पत्र प्रेषित किया जाए।

02. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता को ग्रंथपाल पद से कार्य-मुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना। निर्णय: आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

03. डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार करना।

निर्णय: आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

· 1

04. महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में छात्र संघ के गठन से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 1 एवं 2 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में छात्र संघ के गठन से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 1 एवं 2 का अनुमोदन किया गया।

> एक सदस्य द्वारा उक्त अध्यादेश में निर्वाचन का आधार मतदान के बजाय शैक्षणिक श्रेष्ठता को रखे जाने का सभी सदस्यों ने सहमति दी।

05. विश्वविद्यालय के भवनों की साफ—सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के भवनों की साफ-सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार, फर्म 'न्यू मारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर' से उनके द्वारा निविदा में उल्लेखित दर पर दिनांक 01 सितम्बर, 2014 से 31 अगस्त, 2015 तक 1 वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु अनुमोदन किया गया।

06. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार, फर्म मेसर्स 'न्यू भारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस, नागपुर' से उनके द्वारा निविदा में उल्लेखित दर पर दिनांक 1 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015 तक 1 वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु अनुमोदन किया गया।

07. एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के मद से उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के मद से उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया:—

Equipment >500000.00

S. No.	Ref File No.	Name of Equipment	Firm	Price
1	1b	RT-PCR	M/s Invitrogen Bioservices Pvt. Ltd. Kolkata	1276500.00
2	2	Electrophoresis System & Gel Documentation	M/s BIO RAD, MUMBAI	703800.00
3	4	Super Critical Fluid Extraction Unit	M/S Waters India Pvt. Ltd., Secundrabad	4100118.00
4	5	LC-MS-MS System	M/s Thermo Fisher Scientific.	11799000.00
5	6	FTIR	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	1369650.00
6	7	HPLC	M/S SPINCO BIOTECH PVT. LTD. BANGLORE	2680700.00
7	8	NMR Spectrophotometer 400 MHz	M/S BRUKER INDIA SCIENTIFIC PVT. LTD. BANGLORE	24018750.00
8	10	AAS	M/S LAB INDIA ANALYTICAL INSTRUMENTS PVT. LTD.	2676465.00
9	13	Refrigerated High Speed centrifuge and Rotors	M/S KASLIWAL BROTHERS, RAIPUR	1237260.00
10	15	UV Spectrophotometer	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	572700.00

08. Consultant एवं NCNR Project Staff के लिये मानदेय एवं विशेष भत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: (1) NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत Consultant के लिए निम्नानुसार मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति दी गई :--

S.No.	Status of consultant	Amount as consultancy fee (INR)	Maximum Limit (INR) month ⁻¹	Source of Payment
1	Rank of Professor or above	1000.00 day ⁻¹	25000.00	NCNR has
2	Rank of Associate Professor or equivalent	750.00 day ⁻¹	17500.00	allocation for consultancy
3	Rank of Assistant Professor or equivalent	Rs. 500.00 per day	12500.00	under the head, "Manpower Budget"

यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य में मेडिकल (एम.बी.बी.एस., बी.ए. एम.एस., बी.एच.एम.एस. एवं पैथोलॉजिस्ट) कंसल्टेंट नियुक्त किया जाता है तो क्रम सं. 2 के अनुसार मानदेय प्रदान किया जावे।

- (2) वनांचलों में सर्वेक्षण कार्य करने वाले कंसल्टेंट एवं प्रोजेक्ट स्टॉफ को फील्ड एलाउन्स रू. 200/— (TA/DA को छोड़कर) की स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि फील्ड में जाकर सैंपल लेने का कार्य मई से प्रारंभ है। अतः यह व्यवस्था मई, 2014 से प्रभावशील होगा।
- 09. वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र / केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण करना।
- निर्णय: वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र / केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
- 10. पं. रिवशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के acoustics सुधार, एयर कंडीशन एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: पं. रिवशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के acoustics सुधार, एयर कंडीशन कार्य एवं पूर्व स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम को दुरूस्त कर प्रभावी करने संबंधी कार्य डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत् लोक निर्माण विभाग से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

द्वितीय पूरक विषयसूची

- 1. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2014 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय: भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2014 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।
- 2. श्री रूपेश कुमार शर्मा, अनिवार्य सेवानिवृत्त, उपयंत्री के द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 03.02.2014 के प्रकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

1. श्री रूपेश कुमार शर्मा के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में उन पर लगाए गए उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना से संबंधित सभी आरोप सिद्ध पाए गए हैं। 2. विभागीय जांच उपरांत उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2208/सा.प्रशा./2013 दिनांक 17.05.2013 प्रेषित करते हुए उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों के बाबत् उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदाय किया गया था।

जिसके जवाब में, श्री शर्मा के द्वारा दिनांक 01.06.2013 को पत्र प्रेषित करते हुए उन पर लगाये गये सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होना बताया

ाया है।

3. विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय जांच में उन पर लगाये गये सभी आरोप सिद्ध पाये जाने के उपरांत, दण्ड निर्धारण के पूर्व, उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मानवीयता के आधार पर एवं विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 7605/सा.प्रशा./2013 दिनांक 07.12.2013 प्रेषित करते हुए एक अवसर प्रदाय किया गया था। जिसमें उनसे स्टाम्प पेपर पर एक वचनपत्र प्रदाय करने हेतु कहा गया था।

उक्त अवसर का लाभ न उठाते हुए, श्री शर्मा द्वारा दिनांक 13.12.2013 को पत्र प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय की इस सद्भावनापूर्ण मानवीयता के आधार पर की गई कार्यवाही को नियमविरूद्ध एवं असंवैधानिक कार्यवाही किये

जाने का उल्लेख किया गया है।

4. तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 07.01.2014 को आदेश पारित करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 140/सा.प्रशा./2014 दिनांक 07.01.2014 के द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 57 (1)(e) के तहत तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालयीन सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त करने संबंधी आदेश दिये गये थे।

5. श्री शर्मा द्वारा कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील पर विचार करते हुए कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.03.2014 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि— संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के पूर्व विधिक अभिमत लिया जावे।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में विधिक अभिमत् प्रदाय करते हुए—

विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को वैधानिक निर्णय बताया गया है।

6. विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 में श्री रूपेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 03.02.2014 के संबंध में विचार करते हुए प्रकरण की समीक्षा हेतु 03 सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद की उक्त बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार गठित 03 सदस्यीय सिमिति द्वारा दिनांक 18.06.2014 को यह कहा गया कि— यदि वे इस संबंध में खेद प्रकट करना चाहते हैं तो लिखित रूप से सूचित कर सकते हैं और उक्त स्थिति में उनका स्पष्टीकरण और खेद प्रदर्शन संतोषप्रद पाया गया तो उनके विरुद्ध नरम दृष्टिकोण अपनाएं जाने की अनुशंसा की जा सकती है। साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया गया कि— आज ही ऐसा लिखित आवेदन पत्र दें सकते हैं और यदि वे चाहें तो दो—तीन दिनों का अवसर भी दिया जा सकता है।

श्री रूपेश कुमार शर्मा ने समिति को सूचित किया कि— वे उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में उठाई गई आपत्तियों पर ही निर्णय चाहते हैं और किसी प्रकार

का कोई आवेदन अथवा आश्वासन अलग से नहीं देना चाहते हैं।

7. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.06.2014 में श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि— श्री रूपेश कुमार शर्मा को पुनः एक और अवसर प्रदान करते हुए उन्हें अपने आचरण एवं व्यवहार में सुधार हेतु लिखित में एक वचनपत्र प्राप्त किया जावे।

साथ ही उन्हें यह भी अवगत करा दिया जावें कि— यदि वे लिखित में वचनपत्र नहीं देते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक

140 / सा.प्रशा. / 2014 दिनांक 07.01.2014 यथावत् रहेगा ।

परीक्षा एवं अन्य आवेदन-पत्रों के ऑन-लाईन (Payment gateway) भुगतान के संबंध में 3. विचार करना।

प्रकरण पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान के प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करना।

अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र क्रमांक 2330/1926/ निर्णय : 2014/38.2 दिनांक 16.06.2014 के द्वारा छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर फार्मेसी संस्थान की सेवाएं कुलाधिसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपने संबंधी प्रस्ताव पर एक वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग की इम्प्रेस्ट राशि रू. 10,000 / - से वृद्धि कर रू. 30,000 / - स्वीकृत करने 5. के संबंध में विचार करना।

अमान्य किया गया। निर्णय :

पी--एच.डी. शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। 6.

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 01.03.2013 से 16.06.2014 तक पी-एच.डी. की उपाधि के लिए अधिसूचित सूची की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया ।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ.एस.के पाण्डेय) कुलपति

अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)

कुलसचिव

सचिव

प्. क्रमांक : 604 / अका. / का.प. / 2014

रायपुर, दिनांक : 28 / 06 / 2014

प्रतिलिपि :-

माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर। 1.

कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को। 2.

जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, 3.

वित्त नियंत्रक / प्रभारी अंकेक्षण. 4.

समस्त विभागीय अधिकारी, 5.

कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।